

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अप्रैल 2010—वैशाख 10, शक 1932

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-850-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री बी. एम. शर्मा,  
आयएस., कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 12 से 19 अप्रैल 2010  
तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस  
अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक  
अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री बी. एम. शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री जे. एस.  
धुर्वे, राप्रसे., अपर कलेक्टर, धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के  
साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला  
धार का चालू प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप  
से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला धार के पद पर  
पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. एम. शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला धार का कार्यभार  
ग्रहण करने पर श्री जे. एस. धुर्वे, कलेक्टर, जिला धार के चालू प्रभार  
से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं  
भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व  
मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश  
पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-570-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, आयएस., आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 12 से 20 अप्रैल 2010 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश की अवधि में श्री के. सी. गुप्ता, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के.सी. गुप्ता, आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-42-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रशांत मेहता, आयएस., संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 12 से 24 अप्रैल 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री प्रशांत मेहता की अवकाश की अवधि में डॉ. देवराज बिरदी, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत मेहता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रशांत मेहता द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रशांत मेहता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत मेहता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. ई-1-134-2010-5-एक.—(1) श्रीमती सुधा चौधरी, भाप्रसे (1991), तत्कालीन सचिव, राज्य वेतन आयोग तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सेवाएं दिनांक 1 अप्रैल 2010 से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के पद पर नियुक्ति के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी जाती हैं. श्रीमती चौधरी सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से पूर्ववत् संपादित करती रहेंगी.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती सुधा चौधरी द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2010 से उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने पर राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई-5-543-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय बंदोपाध्याय, आयएस., आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 5 से 7 अप्रैल 2010 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय बंदोपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजय बंदोपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय बंदोपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-133-2010-5-एक.—(1) श्री रघुवीर श्रीवास्तव, भाप्रसे (1992), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास) निगम तथा आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल की सेवायें आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से वापिस लेते हुए, अब उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1/353/2009/5/1, दिनांक 26 मार्च 2010 की तालिका के खाना-9 में उल्लेखित अधिकारी श्री एस. के. पाल, भाप्रसे (1994), अपर आयुक्त (राजस्व); सागर संभाग को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत कर, उन्हें आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उनकी सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास) निगम के पद पर नियुक्ति के लिये आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को सौंपी जाती है।

(3) उपरोक्तानुसार श्री एस. के. पाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास) निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती जी व्ही. रश्मि, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को दिनांक 5 से 24 अप्रैल 2010 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 अप्रैल 2010 तथा 25 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश की अवधि में श्री दीपक सक्सेना, अपर कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का चालू प्रभार सौंपा जाता जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सक्सेना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-709-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस., नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त को दिनांक 19 से 23 अप्रैल 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-817-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर को दिनांक 12 से 24 अप्रैल 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 25 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-645-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा संचालक, बजट को दिनांक 1 से 10 मई 2009 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा संचालक, बजट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-634-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस., आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश को दिनांक 10 से 22 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. मनोहर अगनानी की अवकाश की अवधि में श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है..

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. आर. मोहन्ती, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-782-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भरत कुमार व्यास, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 19 अप्रैल से 1 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री भरत कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-416-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सुरेश, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को इस विभाग के पत्र दिनांक 30 मार्च 2010 द्वारा दिनांक 3, 5, 6, 7 एवं 8 अप्रैल 2010 तक, पांच दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित करते हुए, अब उन्हें दिनांक 3 से 9 अप्रैल 2010 तक कुल सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-501-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री बी. आर. नायडू, आयएएस., आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश 15 मार्च 2010 द्वारा दिनांक 29 मार्च 2010 से 30 अप्रैल 2010 तक, तैंतीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किए जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-801-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएएस., सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 1 से 15 नवम्बर 2009 तक, पन्द्रह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-866-आयएस-लीव-एक-5.—श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आयएस.,(यू. पी.-1997), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास को दिनांक 17 मई से 18 जून 2010 तक, तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कामिनी चौहान रतन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती कामिनी चौहान रतन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कामिनी चौहान रतन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-267-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती आई.एम. चहल, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2010 द्वारा दिनांक 10 से 19 फरवरी 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें निम्नानुसार अर्जित/लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है:—

- (1) दिनांक 14 से 17 जनवरी 2010 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश.
- (2) दिनांक 18 जनवरी से 6 फरवरी 2010 तक, बीस दिन का लघुकृत अवकाश.
- (3) दिनांक 10 से 11 फरवरी 2010 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश.
- (4) दिनांक 12 से 21 फरवरी 2010 तक, दस दिन का लघुकृत अवकाश.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आई.एम. चहल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती आई.एम. चहल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आई.एम. चहल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 5-35-2009-दो-उन्तीस.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन चयन समिति की सिफारिश पर श्रीमती आभा मिश्रा पत्नी श्री जय प्रकाश मिश्रा को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, ग्वालियर में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है.

(2) जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगी. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहती हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

No.. F. 5-35-09-2-XXIX.—In exercise of the power conferred by sub-section (1-A) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) and on recommendation of the Selection Committee, the State Government hereby appoint Smt. Abha Mishra W/o Shri Jai Prakash Mishra as the member in the District Consumer Disputes Redressal Forum, Gwalior with effect from the date she takes over the charge of the office.

(2) The member of the District Consumer Forum should positively attend office on every working day from 10.30 A.M. to 4.00 P. M. and is instructed that if she remains absent continuously for three consecutive sittings of the Forum, except for a reasonable cause, then action will be taken to remove her from the membership of the District Consumer Forum. The member of the District Consumer Forum have to participate in the training provided by the State/Central Government from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. जैन, अपर सचिव.

## खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ-2-05-10-बारह-1.—मेसर्स रियो टिन्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. द्वारा जिला सागर, दमोह, छतरपुर एवं पन्ना में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा-पत्र अन्तर्गत टोही कार्य हेतु धारित 1370 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 685 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देशांश (3)
1	24° 03' 00''	79° 08' 00''
2	24° 03' 25''	79° 10' 40''
3	24° 00' 53''	79° 13' 24''
4	24° 02' 40''	79° 16' 23''
5	24° 03' 36''	79° 15' 25''
6	24° 15' 17''	79° 35' 20''
7	24° 17' 45''	79° 33' 20''
8	24° 19' 48''	79° 36' 38''
9	24° 17' 07''	79° 38' 55''
10	24° 21' 00''	79° 45' 42''
11	24° 24' 47''	79° 43' 07''
12	24° 25' 32''	79° 44' 23''
13	24° 23' 52''	79° 45' 37''
14	24° 26' 25''	79° 49' 51''
15	24° 24' 36''	79° 51' 37''
16	24° 25' 51''	79° 53' 49''
17	24° 24' 01''	79° 56' 16''
18	24° 26' 52''	80° 03' 00''
19	24° 26' 00''	80° 03' 00''
20	24° 18' 00''	79° 48' 00''
21	24° 20' 00''	79° 48' 00''
22	24° 07' 00''	79° 25' 00''
23	24° 05' 00''	79° 25' 00''
24	23° 57' 00''	79° 08' 00''

इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला-घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन", 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ-2-05-10-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 5 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 5th April 2010

No. F-2-05-10-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of the Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 685 Km<sup>2</sup> out of 1370 Km<sup>2</sup> in Sagar, Damoh, Chattarpur & Panna districts which was previously held by M/s. Rio Tinto Exploration India Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond & precious minerals, Gold, Copper, Lead, Zinc, Silver, Bismuth & Cadmium minerals, under reconnaissance permit, which has now been relinquished as per 7(1)(i)(a) of the said rules. Details of the area are as below :—

Pts (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
1	24° 03' 00"	79° 08' 00"
2	24° 03' 25"	79° 10' 40"
3	24° 00' 53"	79° 13' 24"
4	24° 02' 40"	79° 16' 23"
5	24° 03' 36"	79° 15' 25"
6	24° 15' 17"	79° 35' 20"
7	24° 17' 45"	79° 33' 20"
8	24° 19' 48"	79° 36' 38"
9	24° 17' 07"	79° 38' 55"
10	24° 21' 00"	79° 45' 42"
11	24° 24' 47"	79° 43' 07"

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
12	24° 25' 32"	79° 44' 23"	6	21° 26' 46.95"	78° 04' 14.16"
13	24° 23' 52"	79° 45' 37"	7	21° 24' 42.89"	77° 58' 32.43"
14	24° 26' 25"	79° 49' 51"	8	21° 24' 00.26"	77° 58' 53.94"
15	24° 24' 36"	79° 51' 37"	4 से 5 एवं 8 से 1 राज्य सीमा		
16	24° 25' 51"	79° 53' 49"			
17	24° 24' 01"	79° 56' 16"			
18	24° 26' 52"	80° 03' 00"			
19	24° 26' 00"	80° 03' 00"			
20	24° 18' 00"	79° 48' 00"			
21	24° 20' 00"	79° 48' 00"			
22	24° 07' 00"	79° 25' 00"			
23	24° 05' 00"	79° 25' 00"			
24	23° 57' 00"	79° 08' 00"			

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhavan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ-2-47-07-बारह-1.—मेसर्स प्रिमियर निकल माईन्स प्रा.लि. द्वारा जिला बैतूल में सोना, पीजीई, निकल, क्रोमियम, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, आयरन एवं सहयोगी खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा-पत्र अन्तर्गत दोही कार्यो हेतु धारित 135 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 125 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देशांश (3)
1	21° 22' 41.85"	77° 54' 48.60"
2	21° 25' 28.03"	77° 53' 33.48"
3	21° 30' 34.45"	78° 05' 05.70"
4	21° 27' 37.38"	78° 06' 37.34"
5	21° 26' 21.55"	78° 04' 25.51"

इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन", 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ-2-47-07-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 5 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 5th April 2010

No. F-2-47-07-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 125 Km<sup>2</sup> out of 135 Km<sup>2</sup> in Betul district which was previously held by M/s. Premier Nickel Mines Private Limited, for the reconnaissance operations of Gold, PGE, Nickel, Chromum, Copper, Lead, Zinc, Silver, Iron & associated minerals, under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7(1)(i)(a) of the said rules. Details of the area are as below :—

Pts (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
1	21° 22' 41.85"	77° 54' 48.60"
2	21° 25' 28.03"	77° 53' 33.48"
3	21° 30' 34.45"	78° 05' 05.70"
4	21° 27' 37.38"	78° 06' 37.34"

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5	21° 26' 21.55"	78° 04' 25.51"			
6	21° 26' 46.95"	78° 04' 14.16"			
7	21° 24' 42.89"	77° 58' 32.43"	8	24° 15' 57''	78° 54' 41''
8	21° 24' 00.26"	77° 58' 53.94"	9	24° 19' 37''	78° 56' 53''
4 to 5 & 8 to 1 State Boundary			10	24° 17' 26''	78° 59' 19''

8 से 9 राज्य सीमा

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhavan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. एफ-2-06-2010-बारह-1.—मेसर्स रियो टिन्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. द्वारा जिला सागर एवं छतरपुर में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा-पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1300 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 650 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देशांश (3)
<b>खण्ड-1</b>		
1	24° 17' 59''	78° 26' 36''
2	24° 12' 35''	78° 46' 41''
3	24° 11' 59''	78° 44' 26''
4	24° 09' 06''	78° 45' 37''
5	24° 07' 53''	78° 49' 59''
6	24° 04' 01''	78° 47' 48''
7	24° 13' 28''	78° 36' 58''

1 से 2 राज्य सीमा

<b>खण्ड-3</b>		
11	24° 01' 59''	78° 50' 05''
12	24° 03' 11''	78° 54' 33''
13	24° 08' 59''	78° 54' 55''
14	24° 12' 15''	79° 04' 02''
15	24° 10' 05''	79° 06' 32''
16	24° 08' 39''	79° 01' 15''
17	24° 05' 49''	78° 59' 34''
18	24° 01' 33''	78° 59' 59''
19	24° 00' 15''	78° 52' 06''

इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन", 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. एफ-2-06-2010-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 13 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 13th April 2010

No. F-2-06-2010-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of the Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 650 Km<sup>2</sup> out of 1300 Km<sup>2</sup> in Sagar & Chattarpur



districts which was previously held by M/s. Rio Tinto Exploration India Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond & precious minerals, Gold, Copper, Lead, Zinc, Silver, Bismuth & Cadmium minerals, under reconnaissance permit, which has now been relinquished as per 7(1)(i)(a) of the said rules. Details of the area are as below :—

Pts (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
<b>Block-1</b>		
1	24° 17' 59"	78° 26' 36"
2	24° 12' 35"	78° 46' 41"
3	24° 11' 59"	78° 44' 26"
4	24° 09' 06"	78° 45' 37"
5	24° 07' 53"	78° 49' 59"
6	24° 04' 01"	78° 47' 48"
7	24° 13' 28"	78° 36' 58"
1 to 2 State Boundary		
<b>Block-2</b>		
8	24° 15' 57"	78° 54' 41"
9	24° 19' 37"	78° 56' 53"
10	24° 17' 26"	78° 59' 19"
8 to 9 State Boundary		
<b>Block-3</b>		
11	24° 01' 59"	78° 50' 05"
12	24° 03' 11"	78° 54' 33"
13	24° 08' 59"	78° 54' 55"
14	24° 12' 15"	79° 04' 02"
15	24° 10' 05"	79° 06' 32"
16	24° 08' 39"	79° 01' 15"
17	24° 05' 49"	78° 59' 34"
18	24° 01' 33"	78° 59' 59"
19	24° 00' 15"	78° 52' 06"

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhavan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 2158-2010-बारह.—मेसर्स प्रिमियर निकल माईन्स प्रा.लि. द्वारा जिला सीधी में हीरा, सोना, तांबा, लेड, जिंक, पीजीई, सिल्वर, टंगस्टन, क्रोमियम, निकल, आयरन एवं सहयोगी खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा-पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1132 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 972 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देशांश (3)
1	24° 09' 26.17"	81° 48' 14.21"
2	24° 09' 16.88"	82° 11' 50.53"
3	23° 53' 59.37"	82° 11' 42.04"
4	23° 54' 12.08"	81° 48' 00.92"
5	24° 00' 29.28"	81° 48' 06.39"
6	24° 00' 27.15"	81° 53' 59.28"
7	24° 01' 56.44"	81° 54' 00.29"
8	24° 01' 55.14"	81° 57' 59.98"
9	24° 07' 59.99"	81° 57' 59.99"
10	24° 07' 59.99"	81° 53' 59.99"
11	24° 05' 02.62"	81° 53' 59.67"
12	24° 05' 04.74"	81° 48' 10.40"
1	24° 09' 26.17"	81° 48' 14.21"

इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्त के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन", 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 2158-2010-बारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 16 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 16th April 2010

No. 2158-2010-XII.—In exercise of rule 59(1)(a) of Mineral Concession Rule 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 972 Km<sup>2</sup> out of 1132 Km<sup>2</sup> in Sidhi district which was previously held by M/s. Premier Nickel Mines Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond, Gold, Copper, Lead, Zinc, PGE, Silver, Tungsten, Chromium, Nickel, Iron & associated minerals, under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7(1)(i)(a) of the said rules. Details of the area are as below :—

Pts (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
1	24° 09' 26.17"	81° 48' 14.21"
2	24° 09' 16.88"	82° 11' 50.53"
3	23° 53' 59.37"	82° 11' 42.04"
4	23° 54' 12.08"	81° 48' 00.92"
5	24° 00' 29.28"	81° 48' 06.39"
6	24° 00' 27.15"	81° 53' 59.28"
7	24° 01' 56.44"	81° 54' 00.29"
8	24° 01' 55.14"	81° 57' 59.98"
9	24° 07' 59.99"	81° 57' 59.99"
10	24° 07' 59.99"	81° 53' 59.99"
11	24° 05' 02.62"	81° 53' 59.67"
12	24° 05' 04.74"	81° 48' 10.40"
1	24° 09' 26.17"	81° 48' 14.21"

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhavan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सूचना

क्र. एफ. 3-1-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की

उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार, द्वारा धार निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (1) कलेक्टर, जिला-धार (म. प्र.).
- (2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर.
- (3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, धार.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 3-1-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड "ख" के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-1-बत्तीस-09, दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 16th March 2010

NOTICE

No. F-3-1-2009-XXXII—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Dhar (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

- (1) Collector, District-Dhar, Madhya Pradesh.
- (2) Joint Director, Town & Country Planning, District Office, Indore, Madhya Pradesh.
- (3) Chief Municipal Officer, Municipal Council, Dhar.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19(5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,

VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

### सूचना

क्र. एफ. 3-35-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार, द्वारा डबरा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (1) कलेक्टर, जिला-ग्वालियर (म. प्र.).
- (2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर.
- (3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, डबरा.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 3-35-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड "ख" के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-35-बत्तीस-09, दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 16th April 2010

### NOTICE

No. F-3-35-2009-XXXII—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh

Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Dabra (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

- (1) Collector, District-Gwalior, Madhya Pradesh.
- (2) Joint Director, Town & Country Planning, District Office, Gwalior, Madhya Pradesh.
- (3) Chief Municipal Officer, Municipal Council, Dabra.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19(5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

### सूचना

क्र. एफ. 3-66-2008-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार, द्वारा श्योपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (1) कलेक्टर, जिला-श्योपुर (म.प्र.).
- (2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, श्योपुर.
- (3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, श्योपुर.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 3-66-2008-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड “ख” के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-66-बत्तीस-08, दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 16th April 2010

### NOTICE

No. F-3-66-2008-XXXII—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Sheopur (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

- (1) Collector, District-Sheopur, Madhya Pradesh.
- (2) Joint Director, Town & Country Planning, District Office, Sheopur, Madhya Pradesh.
- (3) Chief Municipal Officer, Municipal Council, Sheopur.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1(ए)12-2005-ब-2-दो.—(1) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 अप्रैल से 7 मई 2010 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18 अप्रैल एवं 8, 9 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को उक्त अवकाश अर्वाधि में खंडवर्ष 2008-09 (विस्तार वर्ष 2010) में अवकाश यात्रा सुविधा

के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ “रोहतांग (हिमाचल प्रदेश)” जाने की अनुमति दी जाती है :—

1.	श्री योगेश मुदगल, भापुसे	—	स्वयं
2.	श्रीमती एस. मुदगल	—	पत्नी
3.	श्री सी. एल. मुदगल	—	पिता
4.	अरस्तु	—	पुत्र
5.	जन्मेजय	—	पुत्र

(3) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, की उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल माहेश्वरी, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) पु.मु., भोपाल को उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) का प्रभार सौंपा जाता है।

(4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा-1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा।

(5) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल माहेश्वरी रापुसे., उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(7) अवकाशकाल में श्री योगेश मुदगल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(8) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश मुदगल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजन कटोच, प्रमुख सचिव

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1(ए)186-91-ब-2-दो.—(1) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो को दिनांक 17 से 26 मई 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16 एवं 27 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय के पत्र क्र. 31011-4-2007-स्था. (ए), दिनांक 14 मई 2008 द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा में प्रावधान अनुसार यदि कोई केन्द्रीय कर्मचारी खंडवर्ष के एक भाग में गृहनगर की यात्रा नहीं करता है तो वह पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा (एल.टी.सी.) पर जा सकता है. यह सुविधा प्राप्त करने के बाद उन्हें उक्त खंडवर्ष के भाग में गृहनगर यात्रा की पात्रता नहीं रहेगी.

(3) अतः पैरा-2 के प्रावधान अनुसार श्री अजय कुमार शर्मा को अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत खंडवर्ष 2008-09 में (विस्तार वर्ष 2010) में उक्त अवकाश अवधि में गृहनगर के स्थान पर "गोवाहटी" (पूर्वोत्तर राज्य) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति दी जाती है :-

- |    |                              |   |        |
|----|------------------------------|---|--------|
| 1. | श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे | — | स्वयं  |
| 2. | श्रीमती मोनिका               | — | पत्नी  |
| 3. | कुमारी ऐश्वर्या शर्मा        | — | पुत्री |
| 4. | आदित्य शर्मा                 | — | पुत्र  |

(4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.

(5) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1(ए)188-91-ब-2-दो.—(1) श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो को दिनांक 3 से 14 मई 2010 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 2, 15, एवं 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय के पत्र क्र. 31011-4-2007-स्था. (ए), दिनांक 14 मई 2008 द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा में प्रावधान अनुसार यदि कोई केन्द्रीय कर्मचारी खंडवर्ष के एक भाग में गृहनगर की यात्रा नहीं करता है तो वह पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा (एल.टी.सी.) पर जा सकता है. यह सुविधा प्राप्त करने के बाद उन्हें उक्त खंडवर्ष के भाग में गृहनगर यात्रा की पात्रता नहीं रहेगी.

(3) अतः पैरा-2 के प्रावधान अनुसार श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, को अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत खंडवर्ष 2008-09 में (विस्तार वर्ष 2010) में उक्त अवकाश अवधि में गृहनगर के स्थान पर "शिलांक" (पूर्वोत्तर राज्य) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति दी जाती है :-

- |    |                               |   |        |
|----|-------------------------------|---|--------|
| 1. | श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे | — | स्वयं  |
| 2. | श्रीमती मधुमिता नकवी          | — | पत्नी  |
| 3. | कुमारी ऐश्वर्या नकवी          | — | पुत्री |
| 4. | मा. रोशन नकवी                 | — | पुत्र  |

(4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.

(5) अवकाश से लौटने पर श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, को आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6) अवकाशकाल में श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विश्वमोहन उपाध्याय, सचिव.

## गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 3-111-2009-दो-ए(3)-शुद्धि-पत्र.—राज्य शासन द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2010 के तहत कृषि विभाग के अधिकारियों के लिये सम्पन्न प्रश्नपत्र लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के) अंकित है, को एतद्वारा संशोधित किया जाता है. अतः प्रश्न-पत्र लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के) के स्थान पर संशोधन उपरान्त लेखा-प्रथम (पुस्तकों सहित) पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेनू तिवारी, उपसचिव.

## आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. एफ-3-90-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-89-2009-बत्तीस, दिनांक 8 जनवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

### उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम भगीरथपुरा	53/2, 54 55/2 एवं 57/2	0.648 हेक्टेयर	आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक शर्त-सरस्वती नदी के एच.एफ. एल. से 30 मीटर तक हरित क्षेत्र विकसित किया जाये एवं आवश्यकता आने पर रिवर साईड कारीडोर हेतु भूमि छोड़नी होगी.
योग . .			<u>0.648 हेक्टेयर</u>		

(2) उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. स्वा.पी.एम.ए.-10-4930.—सिवनी जिले में संक्रामक रोग हैजा फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्भिक बीमारी के फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जायें.

अस्तु, मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी मध्यप्रदेश आपत्तिजनक, हैजा, ज्वर, आंत्रशोध, विनियम 1983 के नियम-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये यह आदेश देता हूँ कि :—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों जनता के लिए खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण

कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—

1. बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े-गले फलों व सब्जियों, मांस-मछली, अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी.
2. बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, दूध, दही, उबली हुई चाय, काफी, शरबत, मांस, मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम, आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे, उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कांच के बंद शोकेस, बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखे जावेंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें.

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-2 (क्रमांक-1) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुये भोजन को नहीं लायेगा, न ही ले जायेगा.

(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान, प्रवेश करने निरीक्षण करने उसमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तु का मानव उपयोग से अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की हुई रीति से पाई गई अस्वास्थ्यकर दूषित व अनुपयुक्त, वस्तुओं के अधिग्रहण कराने, हटाने व नष्ट कर या उसके ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिये जिसे वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके, अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ:—

1. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. चिकित्सक पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे का न हो तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेदिक औषाधालय.
3. ऐसी आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे की नहीं हो.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी, अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालों-नालियों, गटरों, पानी के गड्ढे, पोखर, मलकुंडों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निवर्तन करने अथवा उनके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे.

3. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी चार माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेंगे.

क्र. 4951-व.लि.-2010.—मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा-आंत्रशोथ विनियम, 1983 के नियम 3 के अंतर्गत उक्त रोग फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मैं, मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी उपर्युक्त नियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से आगामी 4 माह की कालावधि तक अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ.

मनोहर दुबे, कलेक्टर.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. क-भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 05-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न की गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)	(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सागर	शाहगढ़	गूगराखुर्द, प.ह.नं. 42	15	1.52	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर	सोना नाला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग का भू-अर्जन ग्राम गूगरा खुर्द.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है—(1) सोना नाला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग का भू-अर्जन ग्राम गूगरा खुर्द.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-3034-भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 06-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न की गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)	(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सागर	शाहगढ़	जालमपुर प.ह.नं. 45	12	1.99	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग क्र.-2, सागर	सोना नाला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग का भू-अर्जन ग्राम जालमपुर.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है—(1) सोना नाला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग ग्राम जालमपुर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 9 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 6-भू-अर्जन-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
विदिशा	विदिशा	भिंयाखेड़ी	19	0.125	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र.-2, विदिशा.	सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्र.-2 के निर्माण हेतु.
			15/1	0.160		
			15/2	0.111		
			13/4	0.087		
			13/5	0.100		
			13/6	0.090		
			13/7	0.080		
			13/44	0.080		
			12/1	0.230		
			12/2	0.146		
			योग . .	<u>1.209</u>		

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-भू-अर्जन-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
विदिशा	विदिशा	लोधाखेड़ी	240/1क	0.290	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र.-2, विदिशा.	सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्र.-2 (आरएम-2)के निर्माण हेतु.
			240/254	0.034		
			241	0.161		
			योग . .	<u>0.485</u>		

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 9 अप्रैल 2010

प्र.क्र. 4-अ-82-09-10-क्र.-347-भू-अर्जन-10—संशोधन.—तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम ससाबरड़ की अर्जनीय आबादी भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाओं के अर्जन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) की अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 331 पर दिनांक 5-3-10 को त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है जिसको निम्नानुसार सही संशोधित प्रकाशन पढ़ा जावे :—

त्रुटिपूर्ण प्रकाशन

(1)

अनुसूची-भूमि का विवरण के कॉलम नं. 4 में

महायोग :—2.226 हेक्टर

संशोधित प्रकाशन

(2)

अनुसूची-भूमि का विवरण के कॉलम नं. 4 में

महायोग :—2.626 हेक्टर

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

खरगोन, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 377-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 30-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	पागाखेड़ी	1.767	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 378-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 31-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	बामन्दा	5.461	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

**नोट** :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 376-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 32-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	चिचलाय	23.511	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

**नोट** :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 381-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 33-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	नाथ्यापुरा	7.214	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 379-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 34-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	एकलधारिया	1.327	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 380-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 33-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	काटकूर	5.329	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 382-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 36-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	मैजमपुर	0.687	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 384-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 37-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	भीलगांव	8.462	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 383-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 38-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	पाटयापुरा	4.242	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 385-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 39-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	ग्राम		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	बारदेवला	7.013	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

**नोट** :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 346-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	ग्राम		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	दसौड़ा	1.246	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर.	बामनखली तालाब की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

**नोट** :—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्र. क्र.-14-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
खण्डवा	पुनासा	दिनकरपुरा (अ) आबादी  (ब) शासकीय	646.56 वर्गमीटर (कुल मकान —011)  635.24 वर्गमीटर (कुल मकान —10).	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.  म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र.-19-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिवरियां (लगानी)	471.95 वर्गमीटर कुल मकान —06).	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.  म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.



भू-अर्जन प्र. क्र.-21-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	पुनासा	धारकवाड़ी (अ) शासकीय  (ब) (लगानी)	468.70 वर्गमीटर (कुल मकान —05).  1228.473 वर्गमीटर (कुल मकान —11).	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.  म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 15 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्र. क्र.-15-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	पुनासा	भुरलाय (अ) आबादी  (ब) शासकीय  (स) लगानी	305.37 वर्गमीटर (कुल मकान —04).  815.86 वर्गमीटर (कुल मकान —09).  1278.95 वर्गमीटर (कुल मकान —08).	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.  म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र.-16-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिंधखाल (आबादी)	284.194 वर्गमीटर (कुल मकान —02).	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र.-17-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	डाबरी (लगानी भूमि)	872.75 वर्गमीटर (कुल मकान —10).	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र.-19-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	जलकुंआ (अ) आबादी (कुल मकान—010) (ब) शासकीय (कुल मकान—11) (स) लगानी (कुल मकान—14)	798.44 वर्गमीटर 1378.525 वर्गमीटर 1895.76 वर्गमीटर	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र.क्र. 20-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	भगवानपुरा (अ) आबादी (कुल मकान—03) (ब) शासकीय (कुल मकान—19) (स) लगानी (कुल मकान—18)	305.12 वर्गमीटर 1465.06 वर्गमीटर 969.31 वर्गमीटर	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र.क्र. 22-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	देवला (अ) आबादी (कुल मकान—03) (ब) शासकीय (कुल मकान—05) (स) लगानी (कुल मकान —12)	194.67 वर्गमीटर 606.62 वर्गमीटर 1077.25 वर्गमीटर	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र.-23-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	दोंगालिया (अ) आबादी (कुल मकान—12) (ब) शासकीय (कुल मकान—08) (स) लगानी (कुल मकान —12)	2473.82 वर्गमीटर 1389.65 वर्गमीटर 406.16 वर्गमीटर	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र.-24-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	श्रमिक/कृषि मजदूर ग्राम-दोंगालिया (अ) आबादी भूमि में निर्मित मकान.  (ब) शासकीय भूमि में निर्मित मकान.	13554.98 वर्गमीटर (कुल मकान —62)  2189.06 वर्गमीटर (कुल मकान —04)	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र.-29-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सातमोहनी (आबादी)	181.74 वर्गमीटर (कुल मकान —02)	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-01-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल रकबा (हैक्ट. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पंधाना	नानखेड़ा	कृषि भूमि रकबा 0.26 हैक्ट.	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग, इन्दौर.	घाटाखेड़ी धुलकोट मार्ग के कि.मी. 8/4-6 में सुक्ता नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, (2) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग इन्दौर, (3) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन पंधाना में देखा जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 19 अप्रैल 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र.-30-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बीड़	0.53	कार्यपालन अभियंता, (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर.	श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2×800 मे. वा. विद्युत् गृह के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-31-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिंधखेड़ा	1.31	कार्यपालन अभियंता, (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर.	श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2×800 मे. वा. विद्युत् गृह के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-32-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिवरियों	8.15	कार्यपालन अभियंता, (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर.	श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2×800 मे. वा. विद्युत् गृह के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-33-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	कोड़ियाखेड़ा	3.14	कार्यपालन अभियंता, (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर.	श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2×800 मे.वा. विद्युत् गृह हेतु पहुंच मार्ग एवं जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-34-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	भिलाई	4.97	कार्यपालन अभियंता, (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर.	श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2×800 मे.वा. विद्युत् गृह हेतु पहुंच मार्ग एवं जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. 625-भू-अर्जन-2010- प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. चूंकि भूमि पर पूर्व में ही मार्ग का निर्माण किया जा चुका है. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(1) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	देवास	देवास सीनियर	2037 वर्गमीटर	भू-अर्जन अधिकारी, देवास	देवास फोरलेन मार्ग निर्माण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी देवास में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सचिन सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. 1610-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 25-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	1. मकनपुरा	16.98	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम	मकनपुरा तालाब परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
		2. ईगलीपाड़ा	0.94		
कुल . .			17.92		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 16 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 22-अ-82-2009-10-क्रमांक-603-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	बालकुंआ	25.500	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :— भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-2009-10-क्रमांक-604-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	नैनपुरा	4.367	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :— भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-2009-10-क्रमांक-605-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	सिरसानी	4.463	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

**नोट :—** भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-2009-10-क्रमांक-606-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	काजलमाता	0.750	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

**नोट :—** भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन.बी.एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
दमोह, दिनांक 19 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 06-अ-82 वर्ष-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	कुसमी	50.17	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	कुसमी जलाशय बांध डूब क्षेत्र योजना में आने वाली भूमि.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—कुसमी जलाशय बांध डूब क्षेत्र योजना में आने वाली भूमि का निर्माण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग, हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर.ए. खण्डेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 21 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 4-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) द्वारा दी गई शक्तियों का

प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	खसरा नं.	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित रकबा (एकड़ में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायसेन	बरेली	कमका	4/3/2	16.50	2.66	कार्यपालन यंत्री, बारना बाड़ी न्यूकमका माईनर क्रमांक 1,2 हेतु भू-अर्जन.
			41	1.65	0.34	
			45/1	2.61	0.47	
			60	8.80	0.18	
			62/1	7.63	0.52	
			62/2	15.00	0.52	
			62/3	15.00	0.52	
			62/4	15.00	0.52	
			40/1	1.23	0.24	
			70	9.98	0.43	
			69/3/1	8.57	0.20	
			71	5.17	0.20	
			72	8.27	0.23	
			93/1/1	4.00	0.24	
			93/1/3	3.56	0.25	
			98/1/2/1	2.00	0.06	
			93/2/2	6.00	0.05	
			98/1/2/2	8.00	0.10	
			98/2/1	4.23	0.15	
			100/2	0.55	0.05	
			62/1	7.63	0.05	
			69/3/1	8.97	0.33	
			93/3/2/2	0.23	0.05	
			69/3/2	8.97	0.33	
			69/2/1	8.97	0.24	
			69/2/2/1	1.50	0.10	
			69/2/2/2	7.47	0.24	
			99/1/1	2.80	0.25	
			105	4.89	0.30	
			111/1	5.00	0.36	
			99/2/1	3.50	0.16	
			99/1/2	4.74	0.25	
			99/2/2	3.50	0.15	
			97/1	3.00	0.15	
			97/2/2	6.35	0.30	
			116/1/1	9.32	0.30	
			60	8.80	0.12	
			33	3.73	0.39	
			20	6.32	0.90	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			30/1/1	4.00	0.55		
			30/1/2	1.70	0.14		
			30/2/1	3.50	0.51		
			30/2/2/1	1.66	0.28		
			27	3.84	0.29		
			30/2/2	2.00	0.28		
			74/1/1	4.77	0.26		
			75/3	4.38	0.24		
			76	0.43	0.21		
			80/2	5.00	0.92		
			80/3	5.00	0.92		
			85/2/2/2/3	3.50	0.27		
			कुल योग :	17.77			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी बरेली जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री, बारना बाड़ी, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंडला, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र. भू-अर्जन-06-(अ-82)-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का वर्ग लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मण्डला	मण्डला	ग्वारा प.ह.नं. 13/7	6.74	सेनानी 35 वीं (भा.र.) वाहिनी वि.स.बल मण्डला.
				सुरक्षात्मक कारणों से

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. एफ 570-भू-अर्जन-09-संशोधन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—अमरपाटन  
(ग) ग्राम—छांहन  
(घ) क्षेत्रफल—07.833 हेक्टेयर

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
140/1	5.000
141/1	2.024
144/2	0.809

निजी खाता भूमि योग कित्ता  
03 में से योग रकबा 07.833 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—अमझर तालाब योजना.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिहोरा, दिनांक 5 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 4-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर  
(ख) तहसील—सिहोरा  
(ग) ग्राम—भाटादौन  
(घ) प. ह. नं.—75 बं. नं. 581  
(ङ) लंगभग क्षेत्रफल—0.75 (हेक्टेयर में)

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.06
3	0.69
योग . . <u>0.75</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिहोरा-मझगवां मार्ग के 4/6 कि. मी. में हिरन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 5-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर  
(ख) तहसील—सिहोरा  
(ग) ग्राम—खितौला

(घ) प. ह. नं.—02/73 बं. नं.		(1)	(2)
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.801 हे.			
खसरा	अर्जित रकबा	10/3	0.405
नंबर	(हेक्टेयर में)	14	0.182
(1)	(2)	18	1.064
		20/4	2.800
307/6	0.065	21/3	0.809
308/2	0.536	58/3	0.607
308/3	0.100	59/4	2.023
308/4	0.100	67/4	0.607
योग . . .	0.801	6/2	0.405
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—		9/3	0.405
सिहोरा- मझगवां मार्ग के 4/6 कि. मी. में हिरन नदी पर		11	0.267
पुल निर्माण.		15	0.138
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी,		19	1.145
सिहोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.		20/5	0.405
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		21/4	0.745
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		58/4	0.849
		62/3	0.959
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन		7/2	0.405
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		9/4	1.619
		12	0.437
उमरिया, दिनांक 8 अप्रैल 2010		16	1.348
क्र. भू-अर्जन-2010-01-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन		20/2	0.405
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के		20/6	0.405
पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित		21/5	1.655
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894		58/5	0.441
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह		62/4	1.184
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये		8/2	0.405
आवश्यकता है :—		9/5	0.405
		13	0.162
अनुसूची		17	1.023
(1) भूमि का वर्णन.—		20/3	0.809
(क) जिला—उमरिया		20/7	0.405
(ख) तहसील—मानपुर		21/6	0.405
(ग) ग्राम—गोहड़ी—		59/3	0.454
(घ) क्षेत्रफल—अशासकीय रकबा—31.281 हे.		67/3	2.954
एवं शासकीय रकबा—223.433 हे.			
खसरा नं.	क्षेत्रफल		
	(हे. में)		
(1)	(2)		
अशासकीय सर्वे क्रमांक			
		5/1	11.663
5/3	1.738	8/1	23.205
8/3	0.809	10/2	0.526
		योग . . .	31.281 हे.
		शासकीय सर्वे क्रमांक	





(1)	(2)
163/2	0.305
166/1ख	0.028
179/1	0.162
191/421/1	0.607
195/1	0.028
402/2	0.040
योग . .	6.102 हे.

**ग्राम बेल्ली—शास. भूमि**

1	0.656
48	1.320
10	1.620
194	6.606
41	0.202
योग . .	10.404 हे.

**ग्राम बेल्ली—अशास. भूमि**

36/2	0.121
45/1	0.097
38	0.061
45/2	0.101
39/1	0.020
47	0.143

योग . . 0.543 हे.

**ग्राम महरोई—शास. भूमि**

1	2.496
2	0.162
4	0.810

योग . . 3.468 हे.

**ग्राम महरोई—अशास. भूमि**

3/1	0.040
3/4	0.113
3/5ग	0.028
3/7	0.069
3/2	0.040
3/5 क	0.024
3/5 घ	0.024

(1)	(2)
3/3	0.113
3/5 ख	0.049
3/6	0.113
योग . .	0.615 हे.

**ग्राम सलैया—शास. भूमि**

29	4.717
117	2.631
639	0.280

योग . . 7.628 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—भदार परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लॉट) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, उमरिया में किया जा सकता है.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एस. कुमरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2010

रा. प्र. क्र. 01-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बुरहानपुर

(ख) तहसील—नेपानगर

(ग) ग्राम—दर्यापुर (नयाखेड़ा तालाब योजना)

(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.54 हेक्टर.		(1)	(2)
खसरा	क्षेत्रफल	5	0.05
नम्बर	(हेक्टर में)	6	0.74
(1)	(2)	7/1	1.05
172/1	0.64	7/2	0.18
189	0.550	10/1	0.70
188/2	0.140	12	1.62
187/1	0.160	13	0.83
187/2	0.08	16	0.12
186/1	0.36	17	2.10
186/2	0.32	61	0.6
185/1	0.34	65	3.20
185/2	0.14	67	0.56
205/1	0.44	68	1.79
204/1	0.13	69	2.44
204/2	0.24	71	1.30
	योग . . . 3.54	72/1	0.67
		72/2	2.02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नयाखेड़ा तालाब योजना ग्राम दर्यापुर से प्रभावित रकबा का भू-अर्जन.		73	2.34
		78	1.70
		79	0.66
		84.	0.10
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपालनगर/कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		89/1	0.53
		90/1	0.26
		90/2	1.19
		93/1	1.52
रा. प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-		111/1	0.24
		112/1	0.93
		112/2	0.64
		114	0.12
		115	0.50
		116	0.10
		148	0.50
		152	0.23
		153	0.23
(1) भूमि का वर्णन—		154	0.14
(क) जिला—बुरहानपुर		155	0.17
(ख) तहसील—नेपालनगर		156	0.23
(ग) ग्राम—रहमानपुरा, नावरा घाघरला डालमहु		158	0.01
(घ) क्षेत्रफल लगभग—54.46 हेक्टर.		160	0.004
खसरा	क्षेत्रफल	162	0.03
नम्बर	(हेक्टर में)	169	0.95
(1)	(2)	171	0.57
		173	0.70
ग्राम—रहमानपुरा		174	0.81
2/1	0.17		
3/1	0.44		
		योग . . .	35.98

(1)	(2)
<b>ग्राम—नावरा</b>	
152	0.07
153	1.03
154	0.25
156	6.60
157	0.23
159	0.32
163	2.40
<b>योग . . 10.90</b>	
<b>ग्राम—घाघरला</b>	
230/1	0.71
234	0.43
230/2	0.30
230/3	1.50
231/1	1.83
231/2	0.06
231/3	2.00
<b>योग . . 6.83</b>	
<b>ग्राम—डालमहु</b>	
215	0.25
231	0.50
<b>योग . . 0.75</b>	
<b>महायोग . . 54.46</b>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रहमानपुरा तालाब योजना से प्रभावित रकबा का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपालनगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रा. प्र. क्र. 03-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बुरहानपुर  
(ख) तहसील—नेपालनगर

(ग) ग्राम—हैदरपुर	(घ) क्षेत्रफल लगभग—47.22 हेक्टर.
खसरा नम्बर (1)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
1	3.67
2	2.88
4	4.87
5	1.00
8/1	2.96
8/2	0.20
9	3.92
10	2.88
12	1.59
13/1	0.98
13/2	1.00
14	3.58
18/1	1.65
18/2	0.80
19	1.70
20	4.84
21	4.69
23	0.41
24/3	1.70
25/1	0.10
25/2	0.10
25/3	0.10
25/4	0.13
25/6	0.20
25/5	0.05
24/1	0.05
24/2	0.07
35/1	0.30
53/1	0.25
53/2	0.25
53/3	0.15
55/1	0.15
<b>योग . . 47.22</b>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हैदरपुर तालाब योजना से प्रभावित रकबा का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपालनगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
करलिन खोंगवार देशमुख, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र.-भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 01-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नीमच  
(ख) तहसील—नीमच  
(ग) नगर/ग्राम—मुण्डला

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
685 पैकी	0.06
685 पैकी	0.06
687	0.06
686 पैकी	0.35
690 पैकी	0.10
692 पैकी	0.58
696	0.45
738	0.45
709	0.35
741 पैकी	0.03
690 पैकी	0.09
690 पैकी	0.09
686 पैकी	0.04
688	0.16
690 पैकी	0.06
694	0.02
695 पैकी	0.24
698	0.39
741	0.20
719/780	0.84

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत डूब में आ रही ग्राम-मुण्डला की छुटी हुई निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 02-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नीमच  
(ख) तहसील—नीमच  
(ग) नगर/ग्राम—सेमलीमेवाड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
930	0.09
931	0.01
933	0.14
934	0.06
973 पैकी	0.22
1137 पैकी	0.18

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत डूब में आ रही ग्राम-सेमलीमेवाड़ की छुटी हुई निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 03-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नीमच  
(ख) तहसील—नीमच  
(ग) नगर/ग्राम—विशान्या

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
451	0.06

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत डूब में आ रही ग्राम-विशन्वा की छुटी हुई निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बिजावर, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर  
(ख) तहसील—बिजावर  
(ग) नगर/ग्राम—नयाताल  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.494 हेक्टेयर.
- (1) निजी भूमि 1.494  
(2) शास. भूमि निरंक
- योग : 1.494

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
1186/2	0.120
1187/1	0.008
1187/2	0.305
1200	0.299
1240	0.480
1243	0.138
1244	0.080
1245	0.064

योग . . 1.494

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नयाताल तालाब के वेस्टवीयर के भराव हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 558-भू-अर्जन-ओ.एस.पी.-2009-10-भू-अर्जन-प्र. क्र.-48-अ-82-2008-09 संशोधन.—कार्यालय पत्र क्र. 2806-वाचक प्र. क्र. 48-अ-82-2008-09 धार, दिनांक 18 जून, 2009 ग्राम रणगांव, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 10.396 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन ओंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग एक, पृष्ठ क्रमांक 1606 पर दिनांक 26 जून, 2009 के अंक में तथा दो समाचार-पत्रों में क्रमशः स्वदेश दिनांक 27 जून, 2009 के अंक में तथा राज एक्सप्रेस दिनांक 27 जून, 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है, जिनका जी नंबर 13650/09 है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व में प्रकाशित		संशोधन प्रविष्टि	
खसरा नं.	रकबा (हेक्ट. में)	खसरा नं.	रकबा (हेक्ट. में)
-	-	19/1	0.250
-	-	20/1	-
20/4	1.200	20/4	0.300
20/6	-	20/6	-
20/5	-	20/5	0.300
23/1/2	0.550	23/1/1	0.550

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

धार, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र. 569-वाचक-प्र. क्र.-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर	(1)	(2)
(ग) ग्राम—सेमल्दा	185/1/1ख	0.100
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.433 हेक्टर.	185/2	0.165
	169/4	0.130
सर्वे नं.	24/1	0.160
निजी	24/3	0.150
(1)	26/2	0.050
	26/3	0.304
10/4	29/1/1/1	0.068
10/2/1	10/1क	0.064
13/2	10/1ख	0.248
13/3	8/3	0.242
12/1/1क	9	0.292
12/1/1ग	8/2	0.260
22/2	15/4	0.030
20/3	59/2	0.300
21/1	59/1/2	0.010
21/2	61/1	0.180
22/1/ख	54/1क	0.200
22/1/क	54/2	0.021
22/1ग	54/1ख	0.288
132/1/1/3ख/1	54/3	0.150
132/2	54/1ग	0.200
132/1/1/1ख	52	0.136
134/1	53	0.139
134/2	44/1/1	0.040
135/1क/1	82/4	0.910
133/1/3	85/1	1.400
135/1क/2	84	0.060
135/1क/3	85/2	0.200
136/1क	83/1	0.336
136/1ख	81/2/2	0.060
136/2	81/2/4	0.288
138/1	81/256/2/2	0.050
139/1/1/1क	107/1	0.160
125	107/2	0.160
122	107/3/1	0.150
154	107/3/2	0.170
155	106/1	0.170
159/1	106/2	0.300
160	106/3	0.300
161	104	0.050
51	91/2/1	0.050
186/1	91/2/2	0.147
185/1/2	105/7	0.031

(1)	(2)	128/1	0.616
93	0.200	133	0.050
92/2	0.050	107/1	0.550
86/1	0.160	105/2	0.028
86/2/1	0.200	103/2	0.215
86/3/1	0.160	106/1/1/1	0.500
86/3/2	0.100	25/1/द	0.058
86/4/1	0.575	25/1घ/1/1	0.215
	योग . .	24	0.370
	<u>18.433</u>	23/2	0.180
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 138.700 मीटर से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी 15 एवं उसकी माईनरों एवं सबमाईनरों तथा डायरेक्ट माईनर 72 के निर्माण के बीच नहर निर्माण हेतु.		23/1	0.123
		22/6	0.160
		175/5	0.145
		22/5	0.160
		22/4	0.080
		22/3	0.160
		22/2	0.160
(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.		22/1	0.160
		21/1/1/1	0.096
		21/1/2/1	0.096
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.		21/2/1/1	0.096
		21/2/2/1	0.096
		79	0.240
		18/2	0.128
		18/1	0.128
		18/3/1	0.250
		181	0.050
क्र. 575-वाचक-प्र. क्र.-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-		4/2	0.352
		4/3	0.528
		5	0.500
		138	0.764
		4/4	0.180
		132/1/2	0.391
		129/3	0.025
		137	0.340
		135	0.884
(1) भूमि का वर्णन—		134/3	0.592
(क) जिला—धार		134/2	0.100
(ख) तहसील—मनावर		134/1	0.100
(ग) ग्राम—गणपुर		121/2	0.009
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.063 हेक्टर.		121/1	0.060
सर्वे नं.	अर्जित रकबा	177/1	0.290
निजी	(हेक्ट. में)	122/2	0.040
(1)	(2)	120/1	0.360
		80/1	0.050
		119	0.400
129/1	0.150	159	0.020
130/1	0.063	158/1	0.010



(1)	(2)
80/3	0.110
160	0.020
81/1	0.120
81/2	0.220
161/1	0.020
82/3	0.190
82/2	0.140
83	0.060
82/1	0.140
78	0.210
80/2	0.105
178/1/1	0.160
178/1/2/2	0.020
178/1/2/1	0.100
176/1क	0.400
175/1/1	0.300
175/1/2	0.300
182	0.020
180/2/2	0.050
180/2/1	0.050
179	0.130
178/3/1	0.100
178/3/2	0.100
74	0.460
186/178	0.100
72	0.120
योग . .	<u>15.063</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की उप नहर की चिखल्दा मायनर -2 की आर. डी. 40 मीटर से 2940 मी. तक एवं डी. व्हाय. क्र. 17 की आर. डी. 4750 मी. से 7760 मी. तक तथा खेड़ा मायनर की आर. डी. 240 मी. से 870 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 608-वाचक-प्र. क्र. 70-अ-82-2008-09 .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में

उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—कुण्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.800 हेक्टर में

सर्वे नं.	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
निजी	
(1)	(2)
4/1/2	0.120
4/1/1	0.040
4/2	0.040
9/1	0.415
10/2	0.050
10/1	0.080
11	0.700
12/1	0.080
18/1	0.370
19, 20	0.475
22/2/3, 21/2/3	0.430
योग . .	<u>2.800</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 152270 मी. से निकलने वाली कुण्डी डायरेक्ट माईनर 75 के बीच नहर निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 4495-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,

अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—बंजारी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.565 हेक्टर

सर्वे नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
47/12	0.023
47/13	0.052
108/2	0.438
112/1/19क/2	0.043
112/1/19ग/3	0.043
112/1/10	0.050
112/1/12	0.058
112/1/13	0.153
112/1/14	0.141
112/1/15	0.025
140/1/5/1	0.008
140/1/8/1	0.007
140/1/8/2	0.008
140/2/1	0.020
140/2/2	0.020
140/3	0.021
140/8/1	0.038
140/8/2	0.038
140/1/4	0.028
140/7	0.055
141/1, 142/1	0.031
141/2, 142/2	0.058
141/3, 142/3	0.021
141/4, 142/4	0.021
143/1	0.281
144	0.268
145	0.021
146/1	0.295
146/2	0.028
149/4	0.072
149/5/1	0.072

(1)	(2)
150/1/1	0.079
150/2	0.049
योग . .	2.565

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 4500-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—बालीपुरखुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.301 हेक्टर में

सर्वे नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
3	0.085
90/1	0.145
91/4/1	0.100
91/3	0.093
91/1/5	0.036
91/1/6	0.090
91/1/8	0.027
104	0.204
111	0.084
112	0.282
114	0.095
122/2/1	0.060
योग . .	1.301

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	(1)	(2)
---	-----	-----

53/3/3 0.021

53/3/4 0.021

63/1 0.069

64/1 0.027

64/3 0.019

65/2/1 0.032

65/2/2 0.014

67/1 0.044

67/2 0.063

67/3 0.032

68/2 0.027

68/3 0.026

68/5 0.053

68/6 0.055

68/7 0.061

94/2/2 0.048

95/2 0.037

95/3/1 0.018

95/3/2 0.021

96 0.202

98/3/2ख 0.020

98/3/2क 0.070

98/4/1 0.110

98/4/2 0.108

98/5/1 0.036

126/1/2 0.120

128/1/2 0.048

128/1/3, 128/2 0.212

129/179 0.010

132 0.164

133/1/6 0.062

133/2 0.137

134/3 0.193

142 0.079

143 0.034

योग 3.556

क्र. 4506-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—रालामण्डल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.556 हेक्टर में

सर्वे अर्जित रकबा

नम्बर (हेक्ट. में)

(1) (2)

33, 34/1/3ख/9 0.073

34/1/1ख/2 0.056

34/1/1ख/3 0.041

34/1/2ख 0.127

34/1/3ख/4 0.049

34/1क 0.082

34/2 0.067

36/2 0.067

36/3 0.071

37/1/2 0.165

44/2/1 0.061

44/3/1 0.022

44/3/2 0.044

45 0.021

51/1 0.022

51/2 0.041

51/3 0.027

51/4 0.037

51/5 0.050

53/1/1, 53/1/2 0.049

53/2/1 0.049

53/2/2 0.021

53/3/1 0.021

53/3/2 0.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 4512-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—उटावद  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.991 हेक्टर में

सर्वे नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
1/1	0.042
1/2/1	0.035
2/1	0.049
2/2	0.035
3/1	0.070
3/2	0.035
4/1, 4/2	0.063
7/1	0.039
7/2/1	0.021
7/2/2	0.021
8/1, 10/1/1	0.050
8/2, 10/1/2	0.042
8/3/1, 10/1/3/1	0.017
8/3/2, 10/1/3/2	0.017
8/3/3, 10/1/3/3	0.017
8/4, 10/1/4	0.073
8/5	0.226
19/1	0.031
19/2	0.031
20/1	0.049
21	0.055
28/1	0.072
28/2	0.304
32, 33	0.120
35/1/1	0.073
35/1/2	0.011
38/2/1	0.128
280/2/1	0.039
281	0.080
288/2	0.025
288/3	0.017
289	0.009

(1)	(2)
290/1/1	0.006
290/1/2	0.006
291/1/2	0.036
294/1	0.041
295/1/1/2	0.061
295/1/2	0.012
297/1/1	0.012
297/1/2	0.012
297/2	0.016
298/1/1/2	0.011
298/1/2ख	0.033
298/2	0.015
299	0.036
301/1	0.097
301/2/1क	0.027
301/2/1ख	0.028
302/1/2	0.164
302/2	0.018
304	0.045
305/1	0.034
305/2	0.020
305/3	0.034
306/1	0.073
306/2	0.073
307/1/1, 307/1/2/1	0.105
307/1/2/2	0.065
307/2/1	0.238
333/1	0.181
333/2	0.192
335/1	0.008
335/2	0.008
335/3	0.008
370/3	0.154
370/4	0.089
397/1	0.041
399	0.096

योग . . . 3.991

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. 535-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 24-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड  
(ग) ग्राम —फत्यापुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.770 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
117/1	0.250
117/2	0.480
121/2, 121/3, 121/4	0.350
128/1	0.070
121/5	0.270
122/1	0.300
122/4	0.940
122/2	0.150
105/1	0.220
104	0.380
83/3	1.360
योग . .	<u>4.770</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 564-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.25-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड  
(ग) ग्राम —मेहगांव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.250 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
86/2, 88/6, 88/14	0.170
86/2	0.060
86/8	0.020
योग . .	<u>0.250</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 557-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.26-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड  
(ग) ग्राम —बिल्वा डेब

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.172 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
13/4, 23	0.194
21	0.295
13/2, 19/3	0.530
19/1	0.206
9	0.303
4/1(क)	1.214
4/1(ख)	0.230
2/4, 2/5	0.700
88/2, 90/2	0.445
88/3	0.077
90/5	0.170
88/1	0.036
89/1, 89/2, 89/3	0.028
159/9	0.372
159/3	0.186
158, 159/6	0.364
159/2	0.461
90/3, 90/4, 160, 161/2, 161/4	0.040
90/7, 96/2, 98, 115/2	0.081
99, 101/4	0.044
100/2	0.243
101/5	0.566
101/2(क) 107/1(क)	0.356
101/2(ख) 107/1(ख)	0.247
107/4	0.048
107/5	0.182
107/3	0.182
107/2	0.372
योग . . .	<u>8.172</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 549-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.27-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—ठीकरी  
(ग) ग्राम —उच्चावद  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.457 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
146/10, 146/6, 145/15	0.255
147/4	0.477
146/3क	0.067
144/7	0.347
142/1/2	0.161
142/1/1	0.312
95/13	0.136
95/21	0.108
98/3	0.055
98/4	0.089
95/20	0.043
98/13	0.047
95/12	0.055
98/12	0.054
95/11	0.219
95/24	0.206
95/23	0.059
95/22	0.166
93/20	0.166
93/19	0.080
93/6	0.158
93/16, 93/5	0.235
93/3	0.196
93/2	0.138
93/1	0.180
7/9	0.449

(1)	(2)
7/14	0.089
7/13	0.359
7/6	0.155
11/4, 9, 8/2	1.363
8/1	1.025
7/2	0.160
7/10	0.443
14/3	0.342
14/1	0.619
14/2	0.173
46, 47/2, 47/3	0.011
155/4	0.013
148/4, 150/2	0.254
171/3	0.283
170/3	0.097
170/2	0.105
169/2	0.306
168	0.153
167/2	0.152
167/1	0.155
165/1	0.157
165/2	0.267
161	0.134
160/1	0.004
159/1	0.089
159/2, 180/8	0.065
158/2	0.130
156/4, 157/4, 157/3	0.251
155/7	0.055
155/6	0.057
155/4	0.231
181/1	0.218
180/12, 182/3	0.065
180/11/2, 182/2	0.048
180/4, 180/7, 182/1,	0.054
184/12	
25/4, 26/2, 27/3	0.023
28/4, 43/2, 44/2	0.479
43/8	0.042
43/9	0.089
49/2	0.284
योग . . .	<u>13.457</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 569-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.28-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड़  
(ग) ग्राम —बडगाँव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.450 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
91	0.360
90/5	0.080
90/2, 90/3, 90/4	0.850
90/8, 90/9, 90/10	
93/2	0.100
89/1	0.090
89/5, 98/1	0.640
98/2	0.110
99/2 (ग)	0.270
99/2 (घ)	0.680
99/4	0.010
108/3, 107/1	0.460
104/4	0.220
104/5	0.190
107/5	0.430
107/4	0.520

(1)	(2)
124	0.080
123/2 (ख), 125/1	0.950
123/3	0.390
125/2	0.510
126	0.600
134/2	0.170
134/1(क)	0.160
132	1.600
137	0.670
138/2	0.140
138/1	0.970
157/4, 158/3,	0.230
157/3, 158/2	0.150
157/2	0.160
157/1 (च)	0.060
157/1 (घ)	
159/3 (ख)	
159/4 (घ)	0.030
159/5 (ख)	
157/1 (ग)	
159/3 (क)	0.160
159/4 (ग)	
159/5 (क)	
160/1, 160/2, 160/3,	1.620
161/1 (ख), 162/2,	0.780
163/2 (ख)	
163/2 (क)	0.800
163/1	0.040
163/3 (क)	0.750
163/3 (ख)	0.010
163/4	1.170
122/4, 128/1, 129	1.240
योग . .	<u>18.450</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 547-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.29-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—अंजड़

(ग) ग्राम —बावडिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.200 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
117	0.300
116	0.190
115	0.350
110	0.010
114	0.060
113	0.040
103/1	0.460
103/2	0.070
102	0.120
101/2	0.130
95	0.370
94/2/7	0.050
94/2/6	0.010
94/2/3	0.080
94/2/2	0.080
94/1	0.170
93/1	0.010
93/2	0.300
89	0.300
86	0.250
83/4	0.030
81	0.340
83/2	0.030
81/1	0.130
82	0.030
3	0.480



(1)	(2)	(1)	(2)
62	0.110	62/1/3, 62/2, 65/3	0.060
61	0.030	59/1	0.120
60/4	0.180	58/2	0.500
60/1	0.300	56/2	0.540
57	0.010	55	0.250
50/1/2	0.060	53/2	0.460
51/5	0.070	9/3	0.510
51/1	0.100	17/1	0.200
49/1	0.020	15/3	0.060
48/1	0.340	15/2	0.250
47	0.180	15/1	0.090
41/2	0.240	22/2	0.460
41/1	0.170	25/1	0.030
योग . .	<u>6.200</u>	25/2	0.030
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.		25/3	0.030
नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.		25/4	0.030
		25	0.010
		26/2/4	0.008
		26/2/3	0.030
		26/2/2	0.050
		26/2/1	0.220
		29/8	0.150
		3/1/2, 29/9/2	0.230
		3/1/1, 29/9/1	0.380
		3/2	0.610
		2/2	0.770
		29/7, 27/1 (ग), 9/1/4	0.190
		37/1 (क)	0.260
		113/4 ख	0.041
		115/1	0.520
		116	0.370
		120/1/3, 123/2/ 2ख	0.270
		125/1	0.210
		127/3	0.310
		129/3	0.060
		129/1, 130/2	0.120
		128/1	0.170
		128/2/1	0.020
		योग . .	<u>9.229</u>
खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
62/1/1, 65/1	0.240	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.	
65/2, 62/1/2	0.370		

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 550-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.31-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड़  
(ग) ग्राम —मण्डवाडा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.675 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
481/1ख, 481/4	0.194
463/2	0.182
480/1ख	0.607
474/3, 475/2, 475/3	0.486
474/2, 475/1	0.384
465	0.243
465/1	0.154
465/2	0.142
465/3	0.073
452/1	0.210
योग . .	<u>2.675</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 565-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.32-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड़  
(ग) ग्राम —तलवाडा डेब  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.100 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1	0.150
2/4	0.540
2/2	0.150
20/1, 21/2	0.280
20/2, 21/3	0.220
19	0.350
23/1, 17/3, 24/2	0.610
13	0.440
12	0.750
10/1	0.010
42/1	1.070
50/5	0.440
50/6	0.220
53/3	0.470
50/4	0.010
53/2	0.140
52	0.190
54/1 (ख)	0.040
54/1 (ग), 59	0.560
58/2	0.260
85/1	0.040
85/2	0.160
योग . .	<u>7.100</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 537-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.33-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड़  
(ग) ग्राम —उजवानी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.320 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
45/5	0.050
45/6	0.040
45/8, 45/18	0.040
45/9	0.030
46/1/1	0.460
46/2	0.260
42	0.010
28/13, 43/1, 43/2,	0.780
43/4, 44/2, 45/2	
28/2, 44/1, 32/3	0.010
36/2	0.050
36/3	0.240
32/2	0.430
31/2	0.360
31/1, 10/4 (घ), 30/4	1.460
32/1/1, 33, 34/1/1	0.020
34/2, 35/1/2	0.080
योग	<u>4.320</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इन्दिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 568-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 34-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड़  
(ग) ग्राम —बजट्टा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.437 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
80/1ख, 81/2	0.510
80/1 क, 81/1	0.010
82/6	0.110
82/1/1	0.080
82/2	0.170
82/3	0.180
82/4	0.170
82/5	0.150
83/1, 84/2/2	0.350
83/5, 84/2/3	0.060
83/12	0.020
83/11	0.279
83/10	0.121
83/7	0.437
83/6	0.020
74/4	0.360
73/2	0.150
73/1	0.150
72	0.330
71/2 घ	0.150
71/1 घ	0.200

(1)	(2)
71/2क	0.190
71/1क, 49/2	0.560
71/2 ग	0.140
71/2 ख	0.005
48/8	0.040
48/6	0.160
48/4	0.140
48/3	0.080
48/2	0.080
48/1	0.730
7	0.480
6/1/10	0.270
6/1/4	0.030
6/1/3	0.250
6/1/1	0.008
6/1/2क, 6/2/3	0.152
6/1/2ख, 6/2/5	0.045
6/2/1	0.150
6/2/10	0.180
6/2/2	0.170
3/7	0.530
11/1, 12/1	0.040
योग . . .	<u>8.437</u>

(ख) तहसील—अंजड़

(ग) ग्राम—रेलवा बुजुर्ग

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.720 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/2	0.170
3/3	0.173
3/6	0.081
2	0.030
6	0.440
7/1	0.129
7/2	0.161
8	0.130
10/1, 10/4	0.630
10/2, 10/3	
11/1/2	0.300
12/1	0.292
12/2	0.578
13/4	0.161
15	0.506
16/2	0.890
16/4	0.049
योग . . .	<u>4.720</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 558-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.35-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 559-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.36-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

- (ख) तहसील—राजपुर  
(ग) ग्राम —पिपरी बुजुर्ग  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.020 हेक्टर.

- (ग) ग्राम —सांगोदा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.880 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)	खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
177/1/1 (ख),	0.330	110/2(क)	0.220
177/1/1(क)	1.050	110/2(ख)	0.170
177/1/1 (ग)	0.910	110/2(घ)	0.170
185/4	0.520	110/2(च)	0.170
185/5	0.160	110/2(ग)	0.120
185/3	1.230	110/1(ख)	0.370
185/2	0.340	110/1(क), 106/2, 107/3	0.88
185/1	0.080	108/1, 109	1.38
184/3	0.030	108/2	0.50
197/3	0.150	89	0.500
196	0.930	44/2	0.360
195	0.060	44/4	0.150
4/1	0.080	44/3	0.260
4/5	0.030	44/5	0.210
2/1	0.950	44/1	0.390
184/1	0.100	83	0.200
168/3	0.070	88	0.630
योग . .	<u>7.020</u>	81/2	0.090
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.		82/1	0.330
<b>नोट.</b> —भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.		81/1	0.570
क्र. 560-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.37-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—		90/4/1	0.430
		90/1/2	0.160
		41/2	0.320
		41/1	0.670
		39/1	0.520
		39/2	0.040
		98/1	0.100
		36/1	0.800
		36/3	0.280
		37	0.420
		36/5	0.330
		28	0.840
		24/2	0.300
		योग . .	<u>12.880</u>

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड़

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 556-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 38-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड़  
(ग) ग्राम —पीपरी डेब  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.263 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
14/1	0.450
18/2	0.270
13/2, 18/1	1.240
24/9	0.170
19/3	0.160
13/6	1.290
28/2	0.303
30/4	0.110
77/2	0.120
77/3	0.070
77/4	0.060
76	0.020
योग . .	<u>4.263</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 561-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.39-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड़  
(ग) ग्राम —बंजारी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.690 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
86/1, 90/3, 90/2,	0.210
86/2	
85/1	0.330
83	0.090
73/8	0.060
योग . .	<u>0.690</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 567-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.40-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड़

(ग) ग्राम —रणगांव डेब

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.100 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
90	0.050
90/4	0.010
90/2	0.200
89/2	0.110
89/1	0.110
85/1	0.100
85/2	0.060
79	0.060
86/2	0.030
33	0.300
78/2	0.100
34/2	0.220
34/1	0.200
32/2	0.180
32/3	0.290
31	0.210
27/2	0.380
27/3, 26/6(क)	0.130
27/3, 26/6(ख)	0.030
27/5, 26/7, 26/8	0.220
21	0.020
32	0.310
37	0.420
70	0.460
41/2	0.120
41/1/2	0.120
41/1/1(घ)	0.180
15/4	0.180
14/5, 14/6, 15/5	0.220
15/1	0.040
14	0.040
योग . .	<u>5.100</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 553-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.41-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—राजपुर  
(ग) ग्राम —मंदिल  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.580 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
11/2, 11/3, 11/4	0.320
8/2, 8/3	0.820
14	0.120
6/1	0.320
योग . .	<u>1.580</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 541-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.42-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड़

- (ग) ग्राम—हरिबड़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.817 हेक्टर.

धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
173	0.126
169	0.011
167/3, 168/3	0.262
168/2, 167/7	0.171
165/2/3, 167/5, 168/4	0.292
167/6	0.029
164/9, 165/2/1, 167/4	0.326
164/8, 167/1	0.085
164/7, 165/2/2, 167/2	0.039
162/2, 164/5, 163/1	0.269
162/3	0.704
161/5, 161/7, 162/4	0.516
162/5	
161/3, 151/2	0.296
151/7	0.197
176/2, 177/2	0.194
176/1, 177/1	0.109
105/1	0.172
104/2	0.019
योग . . .	<u>3.817</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी. एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 542-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.43-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक; सन् 1894) की

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—राजपुर  
(ग) ग्राम—नंदगांव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.87 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
103	0.720
95/2, 95/3, 96, 97, 98	1.190
70/2, 70/3क, 70/3ख, 70/4क, 70/4ख, 70/6, 70/8	0.570
71/1, 71/2	1.630
65/1, 65/3	0.430
64/1, 64/2, 64/4	1.380
63/2, 62/1	0.590
62/2	0.240
66/2/1, 67/2	0.030
66/1, 66/2/2, 66/3	0.360
68/1	0.110
68/2	0.190
69/1, 69/2, 69/3, 69/4	0.470
64/3, 65/2	0.280
78/1	0.110
78/3	0.120
78/4	0.080
78/5	0.080
78/6	0.060
78/7	0.100
58/2	0.160
58/1	0.220
56/1, 56/2	0.450
45/1, 41/2, 44/8	0.520
40	0.330
143/2क, 143/2ख,	0.450
143/3, 143/4, 143/5,	
143/6	
योग . . .	<u>10.870</u>



- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

**नोट:**—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 540-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.44-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—राजपुर  
(ग) ग्राम—रेलवा खुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.740 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
75/11	0.080
75/10	0.150
75/9	0.220
70/1	0.430
69/2	0.090
70/4	0.170
69/3	0.030
62/2	0.020
62/3	0.110
62/1	1.310
62/5	0.040
37/1	0.650
37/4	0.050
36/3	0.140
5/1/2	0.010
9	0.240
योग . .	<u>3.740</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

**नोट:**—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 546-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.45-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड़  
(ग) ग्राम—सांकड़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.080 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
124/5	0.570
124/3	0.070
119/1	0.400
118	0.590
117	0.350
115/6	0.010
115/7	0.030
115/1	0.010
114/2	0.090
114/1/2	0.210
107	0.400
106	0.350
योग . .	<u>3.080</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

**नोट:**—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 536-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.46-अ-82-0809.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड़  
(ग) ग्राम—कोयडिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.273 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
90/2,90/20,90/3,90/4,	0.045
90/19,90/5,90/6,90/7,	
90/8,90/10,90/11,90/16,	
90/17,90/18,94/5,94/6,	
94/7,90/21,90/22,90/25	
89/1	0.325
89/2	0.317
88/2	0.228
88/1	0.885
87/1, 84/2क, 87/2, 84/2ख	0.455
86/1द, 86/1ख 86/2	0.849
85/1,85/2,85/3,85/4	0.548
74/2,74/3,74/4,74/5,74/6,	2.369
74/7,74/8,74/9,74/9,74/10,	
74/11,74/12,74/13,74/14,74/15,	
74/16,74/17,74/18,74/19,74/20,	
74/21,74/22,74/23,74/24,74/25,	
74/26,74/27,74/28,74/29,74/30,	
74/31, 74/34, 74/37,74/38, 74/41,	
74/42,74/43,74/44,74/45, 74/46,	
74/47,74/48,74/49,74/50, 74/51	
75/1, 75/2	0.386
76/1,76/2,76/3,76/4,76/5,	0.47
76/6,76/7,76/8,76/9	
83/1,83/2/1,83/2/2	0.903

(1)	(2)
77/1,77/2,77/3,	0.243
156/2,156/5,156/10क, 162/6,	
156/3,156/4,156/5,156/6क,	
156/6ख, 156/28, 156/7, 156/8,	
156/9, 156/10,156/10ख, 156/24क,	
162/4, 156/11, 156/12/1/2,	
156/12/2, 156/13,156/18,	4.061
156/19, 156/20, 156/21,156/22,	
156/23,156/24क, 156/24ख,	
156/24ग,156/25क, 156/25ख,	
156/26क,156/26ख, 156/27,156/28	
172/2,172/3,172/4,172/5,172/6,	1.424
172/7,172/8,172/9, 172/14,172/15	
188/1, 188/2	0.618
192/1, 192/2,192/3,192/5,	
192/4,192/5/1,192/9,192/6/1,	
192/8/2,192/6/2, 192/9/3,192/6/3,	2.878
192/9/4,192/6/4,192/7,192/8/1,	
192/8/2,192/3,192/9,195/5/1,	
192/9/2,192/6/1,192/9/3,192/10	
129/2, 129/6	0.106
152/2,152/9/2,152/3,152/4,	
152/5,152/9/1,152/11,152/9/2,	1.746
152/10/2,152/10/3,152/3,152/13क,	
152/14/1,152/14/2,152/14/3	
145/1/1,145/1/2,145/1/3,	
145/1/4,145/2,145/3,145/4,	0.213
145/5,145/6,146	
151/2,151/3	0.197
योग . . .	19.273

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 539-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.47-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—हरणगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.460 हेक्टर.

खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

117/2, 112/3, 114

0.190

96/8

0.090

96/7

0.230

96/6

0.220

96/1

0.130

96/2

0.090

96/3

0.110

96/4

0.180

96/5/2

0.100

96/5/3

0.040

96/5/4

0.050

96/5/1

0.010

97/1

0.040

98/1

0.110

99

0.650

103

0.270

104

0.750

89

0.390

86/3

0.210

86/4

0.080

86/2

0.080

86/1

0.070

91/3

0.790

90/8

0.030

186/2

0.140

(1)

(2)

197/9

0.000

197/10

0.050

197/11

0.040

198/4

0.150

199/1

0.150

181/5

0.100

181/2

0.090

181/1

0.050

181/3

0.100

180/9

0.110

180/10

0.100

204/4

0.220

205/3, 205/4

0.260

206/1

0.190

207/3

0.160

208/2

0.090

208/1

0.070

165/1

0.170

165/2

0.140

163/2

0.120

163/5

0.010

163/1

0.160

163/4

0.010

160/2

0.100

161/3

0.020

161/1

0.060

19/2

0.080

19/1

0.130

17/2/8

0.160

17/2/1

0.070

14/4

0.200

14/2

0.050

योग . . .

8.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 543-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.48-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—राजपुर  
(ग) ग्राम—सिंवई  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.990 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
80/1,88/4, 88/5, 80/2, 80/3	0.930
65/2, 65/3	0.810
64/1	0.590
63/1, 63/2	0.400
64/2, 66/2	0.740
66/1	0.470
76/2, 76/3, 76/4	0.340
73	0.330
74/1, 74/2	0.640
72/5, 74/2, 75/1	0.300
72/2, 72/3, 72/4/1	0.570
1/1	0.050
1/2	0.140
1/3, 2/1, 2/2, 1/4, 1/5,	0.680
1/6, 2/4, 2/5, 3/1क, 3/1ख,	
5, 6	
योग . . .	<u>6.990</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट. —भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 538-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.49-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड़  
(ग) ग्राम—सुराना  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.740 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
270/7	0.340
270/5	0.240
270/6	0.570
286	0.320
286/2	0.440
366/1	0.320
366/5	0.190
366/6	0.190
366/3	0.160
366/7	1.000
375/4	0.050
375/6	0.200
375/7	0.010
375/8, 378/12	0.240
375/9, 374/2, 378/13	0.270
375/2	0.060
378/2	0.430
373	0.990
392/6	0.130
392/5	0.170
392/4	0.350
392/3, 393/2, 394/2	0.500
393/1, 394/1	0.380
363/1	0.305
363/2	0.415

(1)	(2)	(ख) तहसील—राजपुर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
		(ग) ग्राम—सांगवी	खसरा नंबर	
		(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.510 हेक्टर.	(1)	(2)
381	0.020		36	0.166
299/4/1	0.180		57	0.045
299/3/1, 299/2/2	0.130		55	0.607
300/2, 299/2/2/1	0.080		103/1	0.036
300/3/1	0.010		103/2	0.040
301	0.100		103/3	0.040
301/8, 302/1, 303/1	0.120		105/1	0.138
304/7	0.020		105/2	0.024
304/6	0.090		10/4	0.170
304/4	0.090		10/5	0.065
304/1	0.080		10/2	0.113
347/2	0.100		10/1	0.154
383/1/2	0.260		10/3	0.020
310/2 K	0.030		10/10	0.194
354/2	0.100		10/11	0.053
354/1, 353/4, 354/3	0.270		8/11	0.053
355/1, 355/4, 356/1,	0.160		8/12	0.089
355/3, 355/2			8/13	0.061
342/2, 343/4	0.100		9/5	0.020
343/2, 342/1, 341/3	0.500		12/6	0.020
378/1	0.010		19/1	0.162
390/2	0.020		19/2	0.024
योग . .	<u>10.740</u>		20/2	0.049
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.			20/1	0.718
<b>नोट.</b> —भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.			21/4	0.219
			21/1	0.113
			21/2	0.113
			21/3	0.085
क्र. 551-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.50-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-			23/1	0.150
			22/2	0.024
			65/4	0.036
			65/2	0.073
			65/8	0.032
			65/1	0.105
			21/5	0.121
			75	0.364
			67/1	0.024
(1) भूमि का वर्णन—			योग . .	<u>4.510</u>
(क) जिला—बड़वानी				

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.	(1)	(2)
	119/5क	0.010
<b>नोट:—</b> भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.	65	0.430
	64	0.030
	63/4, 63/5	0.520
	63/3	0.010
	57	0.170
	61	0.410
क्र.: 548-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.51-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-	60/2/2	0.260
	20	0.560
	19	0.170
	18/7/3	0.260
	21	0.010
	21/3, 21/4, 21/5,	0.080
	23/2, 23/4, 24/2	
	24/1	0.120
	25	0.010
	18/6/2	0.250
	18/6/1	0.010
	18/4, 18/5	0.060
	6	0.400
	4	0.190
	2	0.200
	301/1	0.110
	303	0.310
	89	0.220
	88/5	0.060
	88/4	0.050
	88/3	0.060
	87	0.150
	86/5	0.210
	315	0.120
	317	0.320
	319	0.550
	321	0.120
	320/1	0.190
	320/2	0.070
	320	0.440
	330	0.590
	331	0.330
	328/3	0.300
	328/1	0.030
	320/6	0.110
	60/2/1	0.010
	18/7/4	0.320

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
 (ख) तहसील—ठीकरी  
 (ग) ग्राम—बड़सलाय  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—16.559 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
275	0.010	88/5	0.060
277	1.030	88/4	0.050
282	0.820	88/3	0.060
284	0.420	87	0.150
186	0.080	86/5	0.210
184	0.020	315	0.120
183	0.650	317	0.320
182	0.340	319	0.550
122	0.990	321	0.120
123/1	0.180	320/1	0.190
119/6, 121/2/1,	0.540	320/2	0.070
118/1/1/8		320	0.440
117/2/2, 117/5	0.110	330	0.590
117/2, 117/4	0.040	331	0.330
118/1/2		328/3	0.300
115	0.470	328/1	0.030
112	0.180	320/6	0.110
113/1	0.070	60/2/1	0.010
51	0.130	18/7/4	0.320

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.682 हेक्टर.	
		खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
		(1)	(2)
320/3ग	0.030		
320/3ख	0.030		
320/3क	0.029		
320/4	0.090		
334	0.190	427	0.659
336/2	0.140	396/1	0.270
336/1	0.160	397/1	0.399
345/5/1	0.100	402/3	0.211
346/2	0.100	402/2	0.352
346/3	0.110	402/1	0.055
346/4	0.090	403/2	0.141
346/5	0.070	226/8	0.224
346/6	0.010	226/3	0.268
61/1	0.140	226/2	0.407
18/7/1	0.140	226/1	0.045
18/8/2	0.070	225/8	0.166
18/8/1	0.060	225/5	0.137
18/9क, 18/9ख	0.090	225/4	0.013
		232/1	0.064
		232/3	0.050
योग . .	<u>16.559</u>	232/2	0.197
		231	0.183
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर के निर्माण हेतु.		235/1	0.484
		236/3	0.381
		236/1	0.362
<b>नोट:—</b> भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.		250	0.106
		209	0.305
		208/3	0.187
		208/1	0.256
		207/2	0.128
		207/3, 207/4	0.069
		204/1	0.074
		205	0.159
		204/2	0.002
		206/2	0.064
		200	0.429
		198/2	0.161
		193/3	0.124
		193/2	0.031
		199/2	0.144
		199/3	0.093
		185	0.193
		186/2	0.226
		186/1	0.150
		102	0.213

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—राजपुर  
(ग) ग्राम—खजूरी

(1)	(2)
102/2/1	0.207
102/1/1/1, 102/1/1/3	0.222
101	0.128
100	0.208
78/7	0.111
78/1	0.332
83/2/1	0.135
83/2/2	0.108
83/2/3	0.094
61/1	0.140
61/2	0.129
61/3	0.143
59/1	0.003
58	0.227
54	0.555
49	0.010
55/7	0.060
233	0.398
216	0.295
161	0.025
199	0.134
184/2, 184/3	0.311
183/4	0.197
183/3	0.065
181	0.050
437/10	0.003
437/7 (क)	0.561
437/7 (ख)	0.173
120/4	0.502
26/1	0.280
118/1	0.045
27	0.537
222	0.002
57/1/2	0.110

योग . . . 14.682

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

**नोट:**—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 555-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.53-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—ठीकरी  
(ग) ग्राम—बघाड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—35.418 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
259/1	0.422
259/2	0.225
261	0.099
260/3	0.011
625/11	0.185
625/18	0.445
622/12	0.152
625/16	0.159
625/14	0.022
625/15	0.333
625/8	0.019
625	0.072
101	2.110
101/1, 101/3	0.151
101/11	0.224
101/2	0.257
109/12/1	0.188
62	0.103
109	4.152
12	0.047
90	0.215
97	0.041
101	1.210
101/11	0.001
100	0.075
91	0.317



(1)	(2)	(1)	(2)
109	0.124	382/6	0.254
106	0.054	383	0.004
107	0.245	382/6	0.037
205	0.975	382/2/2	0.085
104/2	0.135	382/7	0.097
104/3	0.449	381	0.540
104/1	0.360	367/3	0.003
125	0.226	380/13	0.082
125/5	0.300	380/11	0.107
125/10	0.073	380	0.060
386	0.050	363	0.027
125	0.848	380/9	0.285
105	0.171	371	0.194
125	0.146	402	0.166
122/2	0.087	352/3	0.277
123/2	0.104	347	0.548
125	0.102	341	0.319
126/1	0.025	265/1	0.001
129/2	0.080	347/2	0.369
232	0.406	265/4	0.176
196	0.198	265/2	0.003
226/2	0.127	265/3	0.105
226/1	0.404	267	0.586
21/1	0.323	262/1	0.167
206/6	0.068	262/2	0.150
206/3	0.387	262/3	0.157
206/4	0.257	270/3	0.255
207/1	0.071	259/1	0.321
208	0.145	259/2	0.216
109	0.101	270/2	0.156
133	0.392	270/1	0.148
387	0.275	271	0.642
233	1.044	281/1	0.018
628/31	0.022	240/1/1/1/1/1	0.011
628/34	0.187	272	0.312
637/8	0.049	272	0.211
628/7	0.206	246/1	0.231
628/41	0.206	245	0.311
437/8	0.377	244	0.058
625/22	0.071	253	0.059
437/8	0.026	242	0.768
437/8	0.156	240	0.733
628/15	0.121	241	0.025
437/8	0.017	239/2	0.563

(1)	(2)	(ग) ग्राम—बांदरकच्छ	(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.644 हेक्टर.
234/1/2	0.053		
234	0.115	खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
232/7	0.512	(1)	(2)
232/9	0.172	302	1.580
232/6	0.212	304/6	0.105
234/1, 234/3, 239/2	0.088	304/5	0.483
233/6, 37	0.366	276/2, 243/2,	1.110
233	0.071	243/3, 276/3,	
629/17	0.637	242	0.441
629/12	0.114	236	1.230
629/17	0.090	239/2	0.031
629/20	0.016	245	0.138
631/19	0.368	143	0.262
632/7	0.113	141/3, 142	0.059
323/6	0.039	249/2	0.436
232	0.248	141	0.262
232/6	0.260	252	0.109
232/7	0.184	304/7	0.039
629/7	0.498	158	0.160
योग . . .	<u>35.418</u>	159/4/1/1, 153/1/2,	0.466
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.		159/1/3, 1591/1/2	
		159/1/4	
नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.		159/5	0.031
		154/2, 155, 156/1/5,	0.005
		156/3	
		297/9	0.188
		188/3, 189/3	0.225
		188/2, 189/2	0.248
		187/6	0.461
		196/2	0.306
		187/11	0.125
		183	0.604
		187/1/1/1/3	0.373
		182	0.005
		201/3/4	0.128
		201/3/3	0.074
		201/3/2	0.064
		301/4	0.251
		215/4क, 215/4ख	0.178
		193	0.599
(1) भूमि का वर्णन—		300	0.068
(क) जिला—बड़वानी		301/10	0.092
(ख) तहसील—ठीकरी		301/9	0.038

(1)	(2)
301/7	0.375
249/1/2, 249/3,	0.448
251/1/2 251/2/1	
192/2/2	0.013
191	0.834
योग . .	<u>12.644</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

**नोट:**—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 554-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.55-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—राजपुर  
(ग) ग्राम—दमदमी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.510 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
112/1, 119/2	0.250
112/2	0.120
112/3	0.140
योग . .	<u>0.510</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

**नोट:**—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 545-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.56-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—राजपुर  
(ग) ग्राम—सनगाँव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.870 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
6/2	0.140
8/4	0.140
8/3	0.010
9/1, 9/2, 19/2, 9/3,	0.460
19/1, 9/4, 19/4, 9/5,	
19/5, 19/3, 19/4	
18/2	0.050
18/3	0.200
49/1	0.030
50/2	0.170
50/1	0.180
70	0.050
69	0.160
68/5	0.240
68/1, 68/4, 68/7	0.040
योग . .	<u>1.870</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

**नोट:**—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 563-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.57-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-	(1)	(2)
	114/7	0.420
	114/2, 114/9	0.530
	114/8, 114/10, 113/4	0.700
	108/4, 119/1	0.342
	109/2, 117/2	0.250
	118/4 (क)	0.161
	141/3	0.259
	141/4	0.486
	141/2	0.040
	133/4	0.042
	130/6	0.081
	25/11	0.040
	25/7	0.300
	25/6	0.410
	25/3	0.060
	24/4	0.041
	24/3	0.040
	24/2	0.049
	37/15, 31/1, 31/2	0.252
	136/1, 136/2, 136/3	0.081
	11	0.020
	12, 14	0.460
	80/2	0.348
	83/1	0.202
	79/1/2	0.753
	71/6	0.340
	योग . . .	<u>11.273</u>

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—मुड़ला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.273 हेक्टर.

खसरा नंबर                      अधिगृहित किया जाने वाला  
क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

77/1 (ख), 77/1 (ग)      0.097

77/3                              0.260

77/1 (क)                        0.370

75/3, 76/1                      0.500

95, 96, 97                      0.570

98/1, 98/3                      0.050

98/2                                0.510

99/1                                0.080

99/3                                0.081

130/1, 130/3, 130/4      0.567

130/5

135/2, 135/4, 135/5,      0.076

135/6

99/4                                0.227

99/2, 107/1                      0.470

109/1, 109/3                    0.364

114/4                                0.310

114/3                                0.030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्र, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 566-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 58-अ-82-08-09.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—राजपुर  
(ग) ग्राम—खड़कल  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.021 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
88/4	0.073
88/2, 95/2,	1.020
88/3, 95/3	
4/2, 13/2,	0.696
5, 13/3,	
6/1, 26/3	
6/6, 11/3	0.030
8/3, 9/3	0.202
योग . .	<u>2.021</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

**नोट .—**भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्र, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 575-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 60-अ-82-2008-09.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी

- (ख) तहसील—ठीकरी  
(ग) ग्राम—दाभड़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.311 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
166/1, 166/2	0.470
167/1	0.367
168	0.364
171/1	0.620
171/2	0.189
172/2	0.015
170/1	0.129
173/2	0.363
174	0.400
175	0.046
177	0.445
178	0.920
46	0.090
48/1, 48/2	0.333
49/3	0.157
49/2, 52/1/2	0.302
52/1/1	0.066
53	0.304
54	0.054
59	0.055
34	0.672
32	0.598
31/1	0.280
31/2	0.218
27/1	0.192
26	0.183
14/237	0.788
214	0.103
213	0.134
212	0.107
211	0.207
204/1	0.140
योग . .	<u>9.311</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

**नोट .—**भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 580-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 62-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—ठीकरी  
(ग) ग्राम—कपाल्याखेडी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.853 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
167	0.304
166	0.118
166/168	0.044
165/1, 165/2, 165/3	0.220
164/1, 164/2	0.289
56	0.100
133	0.190
134	0.124
135/1	0.163
134	0.053
136	0.195
148	0.158
147	0.131
144	0.440
137	0.281
139/199	0.098
129	0.220
127	0.341
126	0.144

(1) (2)

125	0.123
124	0.150
122	0.630
121	0.355
108	0.436
108	0.345
109	0.044
107	0.749
1	0.408
योग . . .	
<u>6.853</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

**नोट :—**भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 573-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 64-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—ठीकरी  
(ग) ग्राम—रणगाँव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.073 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
182	0.199
180/1/1	0.495
178	0.260
180/1/4	0.439
180/2	0.011
175	0.134
179	0.173

(1)	(2)	(1)	(2)
180/1/2	0.252	187	0.218
169/1/1, 169/1/2	0.276	189	0.725
169/2, 169/3		176	0.197
132	1.189	177/1	0.350
133/1, 133/2	0.220	177/2	0.045
134	0.123	178	0.349
78/2	0.075	172	0.044
17	0.145	171	0.538
18/190	0.591	169	0.231
20/1	0.542	157	0.012
20/4	0.574	161	0.273
20/3	0.083	168/2	0.108
41/192	0.817	168/1	0.235
23/1	0.544	162	0.056
51/2	0.029	166/1	0.055
51/1	0.091	165	0.256
योग . .	<u>6.073</u>	164/1	0.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

**नोट .—**भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 576-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 65-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—ठीकरी  
(ग) ग्राम—जरवाह  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.277 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)

(1)	(2)
186/1	0.200

164/2	0.184
146/1, 146/2	0.084
104	0.485
105	0.225
55/2	0.299
54	0.333
47/2	0.336
47/1	0.305
37/2	0.167
46	0.118
40/4	0.200
40/3	0.176
40/2	0.013
38/2	0.096
38/1	0.180
योग . .	<u>7.277</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

**नोट .—**भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 571-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 67-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :-		(1)	(2)
		278	0.431
		279/2	0.199
		279/3	0.064
		279/1	0.225
		270/1	0.775
		267/1, 267/2	0.300
		238/10	0.390
		264/1/2/1	0.489
		264/1/1	0.370
(1) भूमि का वर्णन—		264/2	0.148
(क) जिला—बड़वानी		262/3	0.032
(ख) तहसील—ठीकरी		262/4	0.056
(ग) ग्राम—दवाना		262/10	0.032
(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.511 हेक्टर.		258/4	0.156
खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)	257/1	0.260
(1)	(2)	256/2	0.322
		255	0.256
376/1	0.276	254	0.356
380/2	0.763	253	0.251
403	0.218	252/3	0.366
380/1	0.011	252/2	0.405
401/1	0.202	252/1/2	0.178
402	0.466	252/1	0.179
392/1	0.460	251/2	0.339
386	1.152	251/1	0.023
387	0.222	250/1	0.010
360/2	0.286	262/5	0.010
359/1, 399/2	0.756	258/3	0.234
357/1, 357/2	0.470	257/2	0.066
335	0.437	258/2	0.101
294/2	0.010	257/3	0.172
334	0.615	257/4	0.239
331/2	0.324	245/2	0.208
331/1	0.288	245/1	0.206
307	1.211	246	0.433
313/1/1, 313/1/2,	0.886	21	0.070
313/1/3, 313/1/4		20/2	0.097
320	0.548	20/1	0.776
321/1	0.174	24	0.398
311/2	0.264	9	0.034
376/2	0.041	8	0.253
371	0.997	7	0.062
276/1, 276/2	0.090	6	1.207
277/1	0.010	4/5	0.038
277/2	0.427	4/6	0.010



(1)	(2)	(1)	(2)
4/4	0.055	349	0.521
4/3	0.070	348/1	0.331
4/7	0.074	348/2	0.065
4/2	0.047	347/2	0.247
4/1	0.040	335	0.273
3/2	0.329	334	0.287
274	0.444	332/1	0.393
273	0.622	330	0.03
योग . . .	<u>24.511</u>	328/2	0.249
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.		328/1	0.69
		321	0.721
		356	0.002
<b>नोट .—</b> भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.		212	0.387
		213	0.045
		244	0.065
		210/1	0.041
		214	0.372
		215	0.234
क्र. 579-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 69-अ-82-2008-		216/2	1.238
09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—		227/3	0.12
		225	0.232
		223	0.701
		222	0.625
		242/1	0.402
		242/2	0.411
		243/2	0.032
		248	0.200
		250	0.215
<b>अनुसूची</b>		163	0.025
(1) भूमि का वर्णन—		162/2	0.151
(क) जिला—बड़वानी		162/1	0.225
(ख) तहसील—ठीकरी		160	0.578
(ग) ग्राम—लखनगाँव		136/3	0.091
(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.807 हेक्टर.		159/1	0.050
खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)	137	1.101
(1)	(2)	221/2	0.159
359/1	0.354	219/3	0.250
360	0.117	221/1	0.180
357	0.732	181	0.010
359/2	0.143	184/3	0.223
359/3	0.131	184/2	0.296
359/4	0.175	184/1	0.167
359/5	0.164	185/1	0.014
359/6	0.051	185/2	0.192
352	1.122	186	0.154

(1)	(2)	(1)	(2)
189	0.125	184/1	0.634
190/2	0.254	185	0.279
194	0.026	186/1, 186/2, 186/3	0.226
190/1	0.014	63	0.397
192	0.330	61/5	0.343
193/2	0.074	61/4	0.026
योग . . 16.807		योग . . 4.230	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

**नोट .—**भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 581-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 72-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—ठीकरी  
(ग) ग्राम—सेगवाल  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.230 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
393	0.083
389	0.332
387/1, 387/2	0.439
385	0.033
384	0.295
380	0.279
375	0.016
374	0.045
376/1	0.246
376/2	0.383
368/4	0.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

**नोट .—**भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 577-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 74-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—ठीकरी  
(ग) ग्राम—अजन्दी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.517 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
101/1/1/1/2	3.505
101/1/1/1/4	
101/1/2/1	
101/1/1/2/2	
101/1/1/1/3	
101/1/1/2	
101/1/1/3	
101/1/1/4	
101/1/2	
101/2/1,	
101/2/2	
101/2/3	
101/2/4	

(1)	(2)	(1)	(2)
102/1	0.047	84/3	0.293
100/2	0.621	85/1, 85/2	0.391
100/1	0.208	24	0.078
99/1	0.347	29/2	0.020
98	0.083	31	0.040
105/3	0.576	30	0.040
106	0.546	28	0.040
107/2	0.363	27	0.058
96	0.113	26	0.050
109	0.026	25	0.202
95	0.270	37	0.010
111/1, 111/2,	1.847	9	0.234
111/3, 111/3K		8/3	0.065
111/3KH		8/2	0.081
123	0.384	8/1	0.069
122/1/8	0.081	6	0.407
121/9	0.025	7	0.240
121/13	0.187	112/1K	0.116
121/12	0.110	112/1/KH	0.167
121/5	0.408	16	0.309
121/6	0.066	15/3	0.138
146	0.429		
153/1	0.493		
153/2	0.117		
152/1	0.268		
152/2	0.171		
152/3	0.269		
152/4	0.156		
152/5	0.036		
152/6	0.017		
153/4	0.151		
156/1/2	0.178		
155	0.076		
154/3	0.154		
154/4	0.129		
177/1	0.138		
216	0.014		
176	0.299		
181	0.235		
180	0.265		
174	0.537		
173/2	0.353		
170	0.102		
84/1	0.069		
		योग . . .	<u>17.517</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यक्षेत्रीय समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 574-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 75-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—सेमल्दा डेब	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.361 हेक्टर.	166	0.464
	189/2	0.280
खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला	
	क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	
274	0.292	203/1/2/2
275	0.444	203/1/2/1
270/1, 270/2, 270/3	1.384	203/2
271	0.463	206/4
267/1	0.424	249
184	0.393	248/1
183	0.073	247/1
186	0.241	247/2
188	0.385	246/1, 246/2
195	0.381	242
194	0.024	242/1
198/1	0.425	241/1/3
200	1.266	244/1/2
203/1/1/2	0.307	210
206/1	0.376	231
206/1/2	0.374	239
190	0.352	234
208	0.345	221/2
207/1/4	0.075	
211/1/2	0.675	
224/1	0.272	
224/2	0.243	
223/1	0.143	
223/2	0.147	
222/1	0.299	
221/1ख	0.282	
221/1/2क	0.010	
148/2	0.143	
149/2	0.570	
150/2	0.169	
150/1	0.169	
152	0.241	
272	0.199	
273	0.435	
181	0.190	
170/1	0.224	
170/2	0.147	
168/1/2	0.016	
168/3	0.230	
		योग . . . 17.361

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 570-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 77-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—ठीकरी  
(ग) ग्राम—हतौला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.292 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
326/6क	0.349
326/6ख	0.162
325/7	0.172
250/1	0.549
250/2	0.489
251	0.177
254	0.093
249	0.502
246	0.492
256	0.209
193/1/3, 193/1/2	1.367
194/332	0.349
194/1, 194/2, 194/3	0.312
67/1	0.315
64/1	0.063
62/5	0.064
54	0.361
53	0.260
50/1, 50/2, 50/3	0.345
49	0.122
48/3	0.127
48/2	0.123
326/27 क	0.157
329/ क	0.133
329/6ख	0.363
280	1.332
281/2/1	0.523
282	0.334
283/2	0.373
84/1	0.569
84/2	0.181
14	0.418
17	0.197
18	0.093
25/5	0.176
25/2	0.279
25/3क, 25/3ख	0.185
25/326	0.026
25/1	0.393
19/2	0.158
20	1.056
193/1/3	0.075
193/1/4	0.343
246	0.27
244	0.355
243/2	0.23
243/1	0.246
215/1	0.753
215/2	0.181

(1) (2)

214/1	0.015
214/2	0.388
219	0.025
218/3	0.076
217/4	0.089
217/3	0.094
218/2	0.034
218/1	0.17

योग . . . 17.292

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

**नोट :—**भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 578-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 83-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—ठीकरी  
(ग) ग्राम—ठीकरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.634 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
582	0.300
57/1, 57/2	0.248
58/1	0.155
58/2	0.155
80	0.380
81/1, 81/2, 83/1	0.554
79/3	0.004
77/2	0.006
77/3	0.187
76	0.309
75/1	0.135
75/2	0.135

(1)	(2)	(1)	(2)
101	0.140	291	0.658
270	0.789	302	0.334
267/1	0.252	103/1	0.622
267/2	0.302	102	0.038
152/1	0.324	103/2	0.018
151	0.717	97	0.114
143	0.328	98/1, 98/2	0.666
142/2	0.214	98/3, 98/4	
योग . . .	5.634	94/1, 94/2	0.520
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.		92/1, 92/2, 92/3,	1.075
नोट :—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.		92/4, 92/5	
		90/1, 90/2	0.966
		263	0.309
		254/1, 254/2/2	0.087
		255/1	0.368
		257/1	0.100
		255/2	0.287
		258	0.042
		231/3/2, 231/3/1	0.668
		96	0.411
		105/2	0.269
		79/1	0.022
		78	0.485
		75/1	0.413
		76	0.262
		72/1	0.423
		68/1, 68/2	0.076
		66/1	0.025
		60	0.019
		58	0.158
		18	0.003
		17	0.037
		12	0.970
		11	0.191
		10	0.184
		9	0.351
		4/2	0.320
		4/1	0.771
		3	0.675
		2/1	0.607
		योग . . .	20.118
(1) भूमि का वर्णन—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.	
(क) जिला—बड़वानी		नोट :—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.	
(ख) तहसील—ठीकरी		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
(ग) ग्राम—कुआँ		एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.118 हेक्टर.			
खसरा नम्बर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)		
261	0.445		
260	0.130		
262	0.438		
263	0.451		
265	0.185		
264	0.013		
266	0.283		
267/1, 267/2	1.810		
270	0.286		
274	0.166		
273	0.569		
276	0.150		
277/2	0.055		
278	0.966		
289	0.627		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैठन, दिनांक 22 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 781-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
(ख) तहसील—सिंगरौली  
(ग) पटवारी हल्का नं.—हरहवा 44  
(घ) ग्राम का नाम—हरहवा  
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.03 हेक्टर.

ग्राम हरहवा, पटवारी हल्का हरहवा नं. 44 रा. नि. मं. माड़ा,  
तहसील सिंगरौली ( म.प्र. )

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
454/1 जु.	0.08
454/2 जु.	0.06
454/3 जु.	0.01
454/4 जु.	0.01
455/2 जु.	0.01
455/3 जु.	0.14
456/1 जु.	0.15
456/2 क जु.	0.12
456/2 ख जु.	0.04
462/1 जु.	0.16
462/2 जु.	0.06
462/3 जु.	0.07
462/4 जु.	0.06
462/5 जु.	0.06
योग रकबा . .	1.03

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये ऐश पाईप लाईन निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान)भू-अर्जन अधिकारी, बैठन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 783-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भूमि-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
(ख) तहसील—सिंगरौली  
(ग) पटवारी हल्का नं.—हरहवा 44  
(घ) ग्राम का नाम—सिद्धीकला  
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—10.17 हेक्टर.

सासन पावर लिमिटेड

ग्राम सिद्धीकला, पटवारी हल्का-हरहवा नं. 44  
राजस्व निरीक्षक क्षेत्र-माड़ा, तहसील सिंगरौली,  
जिला, सिंगरौली ( म.प्र. )

खसरा नम्बर	आवेदित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
1022/1 क जुज	0.25
1022/1 ख जुज	0.13
1022/1 ग जुज	0.13
1022/1 घ जुज	0.10
1022/2 क जुज	0.18
1022/2 ख जुज	0.01
1025/1 जुज	0.38
1025/2 क जुज	0.05
1025/2 ग जुज	0.08
1025/2 घ जुज	0.06
1034 जुज	0.55
1036 जुज	0.90
1040/2	0.16
1053/1 जुज	0.01
1054/1 जुज	0.08
1054/2 जुज	0.07
1055/2 क जुज	0.18
1055/2 ख जुज	0.18
1055/2 ग जुज	0.18
1055/2 घ जुज	0.18

(1)	(2)	(1)	(2)
1055/2 ड ज़ुज	0.18	1236/2 क ज़ुज	0.08
1069/2 ख ज़ुज	0.23	1236/2 ख ज़ुज	0.07
1069/3 क ज़ुज	0.10	1237/1 ज़ुज	0.09
1069/3 ख ज़ुज	0.08	1238 ज़ुज	0.05
1070/1 ज़ुज	0.43	1241/1 ज़ुज	0.01
1070/2 ज़ुज	0.34	1245/1 ज़ुज	0.15
1138/1 क	0.05	1245/2 ज़ुज	0.04
1138/2 ज़ुज	0.05	1245/3 ज़ुज	0.08
1139/1 ज़ुज	0.15	1245/4	0.02
1139/2 ज़ुज	0.15	1245/5 ज़ुज	0.03
1140/1 क ज़ुज	0.14	1245/6 ज़ुज	0.01
1140/1 ख ज़ुज	0.16	1252/1 क 1 ज़ुज	0.01
1140/1 ग ज़ुज	0.04	1252/1 क 2 ज़ुज	0.01
1140/2 ज़ुज	0.38	1252/1 क 3 ज़ुज	0.02
1140/3 ज़ुज	0.01	1252/1 क 4 ज़ुज	0.01
1141 ज़ुज	0.07	1252/1 क 5 ज़ुज	0.01
1172/1 ज़ुज	0.02	1252/1 क 6 ज़ुज	0.02
1173/1 क ज़ुज	0.04	1252/1 क 7 ज़ुज	0.01
1173/1 ख ज़ुज	0.05	1252/1 क 8 ज़ुज	0.01
1173/2 क ज़ुज	0.06	1252/1 क 9 ज़ुज	0.02
1173/2 ख ज़ुज	0.07	1252/1 क 10 ज़ुज	0.03
1173/2 ग ज़ुज	0.05	1252/1 ख 1 ज़ुज	0.05
1176/1 क ज़ुज	0.05	1252/1 ख 2 ज़ुज	0.04
1176/1 ख ज़ुज	0.08	1252/1 ग ज़ुज	0.04
1176/1 ग ज़ुज	0.09	1252/2	0.03
1176/2 ज़ुज	0.16	1252/3	0.03
1183/1 ज़ुज	0.06	1255 ज़ुज	0.45
1183/2 ज़ुज	0.05	1256 ज़ुज	0.10
1183/3 ज़ुज	0.05	1260 ज़ुज	0.15
1183/4 ज़ुज	0.05	योग . .	<u>10.17</u>
1183/5 ज़ुज	0.05	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये आवासीय परिसर ग्राम तियरा से मुख्य पावर प्लांट तक सड़क निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.	
1188/1 क ज़ुज	0.21	(3) भूमि का नक्शा (प्लान)भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैढ़न) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
1188/1 ख	0.01		
1188/1 ग ज़ुज	0.20		
1229/1 क ज़ुज	0.01		
1236/1 क ज़ुज	0.32		
1236/1 ख ज़ुज	0.25		
1236/1 ग ज़ुज	0.15		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.